सलीम गंगाधरन

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुक्रमणिका

भाग I

भारत में विदेशी निवेश- रूपरेखा निरूपण

खंड- I: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

1. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
2. भारत में निवेश हेतु प्रवेश मार्ग
3. भारत में निवेश पर प्रतिबंध
4. भारत में निवेश के लिए पात्रता
5. लिखतों के प्रकार
6. लघु उद्योग इकाइयों में निवेश
7. परिसपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निवेश
8. प्रतिभूति बाजार में मूलभूत सुविधाओं वाली कंपनियों में निवेश
9. ऋण-सूचना कंपनियों में निवेश
10. पण्य बाजारों में निवेश
11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निवेश
12. नेपाल और भूटान से निवेश
13. स्वत्वाधिकार / बोनस शेयरों का निर्गम
14. पूर्ववर्ती ओसीबीएस को स्वत्वाधिकार /बोनस शेयर्स जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति
15. निवासियों द्वारा अनिवासियों को स्वत्वाधिकार शेयरों का अतिरिक्त आबंटन
16. विलयन और समामेलन योजना के तहत शेयरों का अधिग्रहण

17. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (इएसओपी) के तहत शेयर जारी करना
18. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग
19. निर्गम मूल्य
20. विदेशी मुद्रा खाता
21 शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण
22. प्रतिभूति अंतरण के कुछ मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति
23. सेज(एसइज़ेड) द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार/ एक मुश्त फीस/ रॉयल्टी / पूंजीगत माल के आयात का ईक्विटी में परिवर्तन
24. बिक्री प्राप्तियों का विप्रेषण
25. कंपनियों के समापन / परिसमापन पर विप्रेषण
26. एडीआर/जीडीआर के तहत भारतीय कंपनियों द्वारा शेयरों का निर्गम
27. दुतरफी फंजिबिलिटी योजना
28. प्रायोजित एडीआर/ जीडीआर निर्गम
29. एडीआर/ जीडीआर निर्गमों की रिपोर्टिंग
30. शेयरों को गिरवी रखना

खंड-II : विदेशी संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश

1. संविभाग निवेश योजना (पीआइएस)
2. संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
3. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा मंदड़िया बिक्री
4. एक्सचेज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाएं
5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों में खाते
6. विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास निजी नियोजन
7. विदेशी संस्थागत निवेशों की रिपोर्टिंग
8. अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

9. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निवेश की स्थिति पर निगरानी
10. सतर्कता सूची
11. रोक सूची
12. समुद्रपारीय कारपोरेट निकायों (ओसीबीएस) द्वारा निवेश

खण्ड- III- विदेशी उद्यम पूंजी निवेश

विदेशी जोखिम पूंजी के निवेशक द्वारा निवेश

खण्ड- IV-अन्य विदेशी निवेश

1. अनिवासी भारतीयों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद
2. भारतीय निक्षेपागार रसीद
3. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद
4. बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा निवेश
5. भारत में बैंकों द्वारा जारी टियर-I तथा टियर-II लिखतों में विदेशी निवेश

भाग II

साझेदारी फर्मों / प्रोप्राइटरी संस्थानों में निवेश

1. साझेदारी फर्मों / प्रोप्राइटरी संस्थानों में निवेश
2. प्रत्यावर्तन सुविधाओंवाले निवेश
3. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति से इतर अनिवासी द्वारा निवेश
4. निषेध

संलग्नक- -1

संलग्नक -2

संलग्नक -3

संलग्नक- 4

संलग्नक-5

संलग्नक-6

संलग्नक-7

संलग्नक-8

संलग्नक-9

संलग्नक-10

संलग्नक-11

परिशिष्ट

भाग - I

भारत में विदेशी निवेश - संक्षिप्त निरूपण :

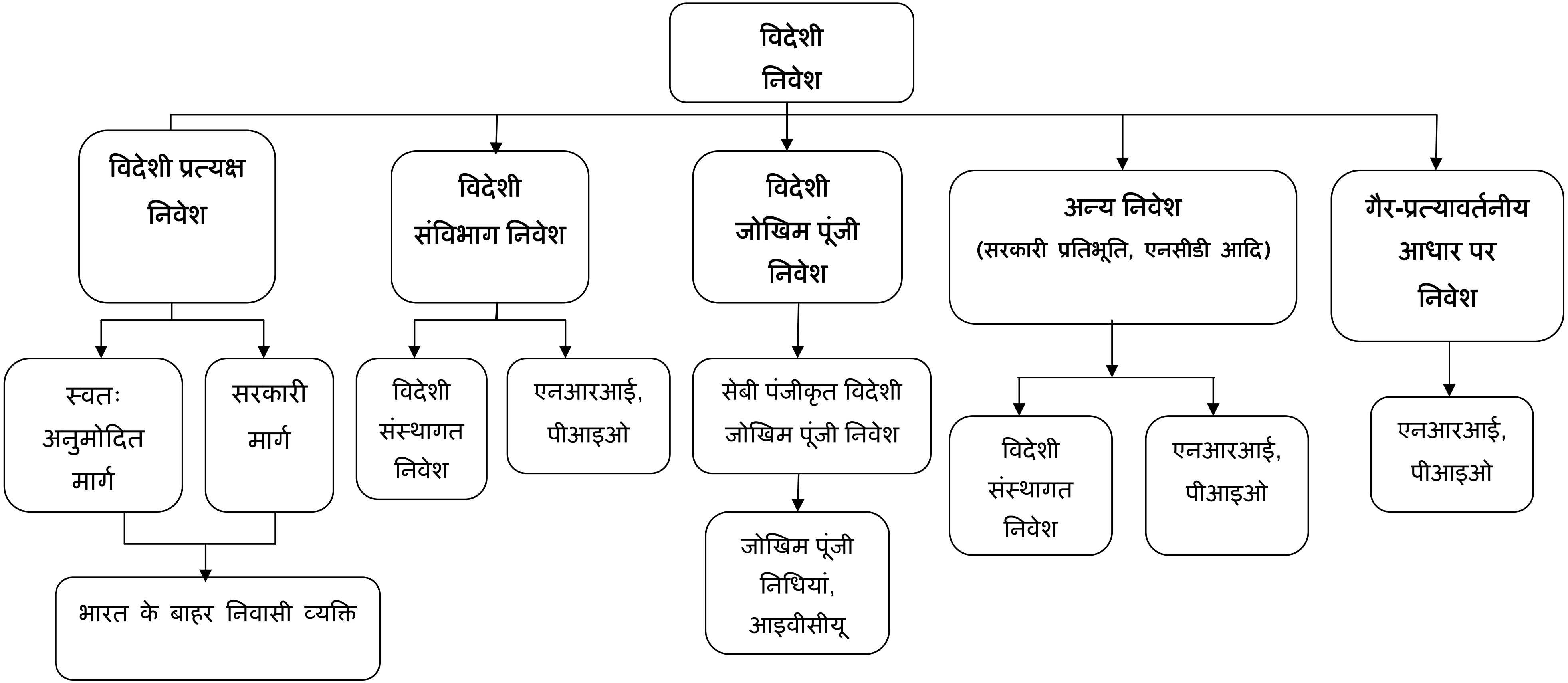

खंड-I: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत सरकार द्वारा घोषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 20/2000-आरबी जारी की है, जिसमें इससे संबंधित विनियम दिए गए हैं। इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया गया है।

2. भारत में निवेश के लिए प्रवेश मार्ग

(i) लगभग सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मुक्त रूप से अनुमति है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत अनिवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय कंपनी के शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ अधिमानी शेयरों [1] में निवेश दो मार्गों, स्वतः अनुमोदित मार्ग और सरकारी मार्ग के तहत किया जा सकता है। लिखत जारी करते समय शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / अधिमानी शेयरों का मूल्य प्रारंभ में ही निश्चित / निर्धारित किया जाना चाहिए। स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेशी निवेशक अथवा भारतीय कंपनी को निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा भारत सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी मार्ग के तहत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईबीबी) के पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है ।

यदि 12 जनवरी 2005 की स्थिति के अनुसार, उसी क्षेत्र , जिसमें कि भारतीय कंपनी जिसके के शेयर जारी किए जा रहे हैं में निवेश/तकनीकी गठबंधन/ ट्रेड मार्क एग्रीमेंट के जरिए निवेशक का भारत में कोई उद्यम है अथवा भारत में कोई व्यवस्था है, उसे शेयर प्राप्त करने के लिए औद्योगिक सचिवालयीन सहायता (एसआईए)/ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है । तथापि, ये प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं है:

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत जोखिम पूंजी निधि से किये जाने वाले निवेशों के लिए शेयरों के निर्गम पर;

ख) बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्था द्वारा निवेश पर;

ग) जहाँ मौजूदा संयुक्त उद्यमों में किसी भी पार्टी का निवेश 3 प्रतिशत से कम हो;

घ) जहाँ मौजूदा संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्था निष्क्रिय अथवा रुग्ण हो;

ङ) जिस व्यक्ति को शेयर जारी किए जाने है यदि उसका मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण / उसका ट्रेडमार्क एग्रीमेंट भी सूचना प्रोद्योगिकी अथवा ख़नन के उसी क्षेत्र में /

---

[1] यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र में "शेयर" का अर्थ ईक्विटी शेयर, "परिवर्तनीय डिबेंचर" का अर्थ पूर्णतः और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर और "अधिमान शेयर" का अर्थ पूर्णतः और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर है। 08 जून 2007 के एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 73 और 74 देखें।

च) उसी खनिज के लिए कार्यरत है तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र अथवा खनन क्षेत्र में कार्यरत भारतीय कंपनी को शेयर जारी करने के लिए

अनिवासी निवेशकों के लिए प्रवेश मार्ग और भारत में क्षेत्र-विशेष निवेश सीमाएं संलग्नक-1 में दी गई हैं।

(ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का निरूपण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने दिनांक 31 2010 का समेकित एफडीआई नीति परिपत्र जारी किया है, जो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में नीति तथा प्रक्रिया को सविस्तार प्रतिपादित करता है। यह परिपत्र पब्लिक डोमेइन में उपलब्ध है तथा इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के वेबसाइट http://siadipp.nic.in/policy/fdi_circular/fdi_circular_1_2010.pdf. से डाउनलोड किया जा सकता है। फेमा विनियमावली, निवेश के तरीके अर्थात् निधियों की प्राप्ति के तरीके, शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों और अधिमान शेयरों [2] के निर्गम और भारतीय रिज़र्व बैंक को निवेशों की रिपार्टिंग निर्धारित करते हैं।

3. भारत में निवेश पर प्रतिबंध

(i) निम्नलिखित कार्यकलाप[2] करनेवाला या करने का इरादा रखनेवाले किसी कंपनी अथवा साझेदारी फर्म अथवा स्वामित्व प्रतिष्ठान अथवा किसी कंपनी चाहे वह निगमित हो या नहीं (जैसे कि ट्रस्ट), में **किसी भी प्रकार** के विदेशी निवेश पर निषेध हैः

(क) चिट फंड के कारोबार, अथवा

(ख) निधि कंपनी, अथवा

(ग) कृषि अथवा बागान कार्यकलापों, अथवा

(घ) स्थावर संपदा कारोबार अथवा फार्म हाउस का निर्माण, अथवा

(ड.) अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकारों (टीडीआर) के व्यापार में ।

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थावर संपदा में टाऊनशिप का विकास, रिहायशी/ वाणिज्यिक परिसर, सड़क अथवा पुल शैक्षणिक संस्थाएं , मनोरंजन सुविधाएं, शहर तथा स्थानीय स्तर की बुनियादी सुविधाएं , टाउनशिप का विनिर्माण शामिल नहीं है। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फेमा विनियमों के अनुसार निवेशवाले भागीदारी फर्मों/ स्वामित्व प्रतिष्ठानों को प्रिंट मीडिया क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं है।

(iii) उपर्युक्त के अलावा, कतिपय क्षेत्रों में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में** निवेश निषिद्ध है, जैसे (संलग्नक-2) [3]

(क) खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा को छोड़कर)

(ख) परमाणु ऊर्जा

(ग) सरकारी / निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी आदि सहित लॉटरी कारोबार

---

[2]दिनांक 3 मई 2000 की अधिसुचना सं.फेमा 1/2000-आरबी के अनुसार

[3]दिनांक 3 मई 2000 की फेमा अधिसुचना सं.20/2000 के अनुसार

(घ) केसिनो सहित जुआ और सट्टेबाजी

(ङ) चिट फंड का कारोबार

(च) निधि कंपनी

(छ) अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकार का कारोबार

(ज) वे गतिविधियां / क्षेत्र जिनकी निजी क्षेत्र में निवेश के लिए अनुमति नहीं है

(झ) कृषि, (पुष्पखेती, बागबानी, बीजों का विकास, पशुपालन, मछली पालन और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित नियंत्रित परिस्थितियों और सेवाओं के अधीन सब्जी, मशरूम आदि की खेती **को छोड़कर** और बाग़ान **(चाय बाग़ान को छोड़कर)**

(ञ) तंबाकू अथवा तंबाकू जैसे पदार्थ के सिगार, चीरूट, सिगारिलो और सिगारेट का निर्माण

टिप्पणी:

1. किसी भी प्रकार के विदेशी निवेश के अलावा विशेष विक्रय अधिकार, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम प्रबंध करार के लिए लाइसेंस सहित किसी भी प्रकार का विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग भी लॉटरी कारोबार तथा जुआ और सट्टेबाजी कार्य के लिए पूर्णतः निषिद्ध हैं।

2. घरेलू जोखिम निवेश पूंजी में सेबी में पंजीकृत विदेशी जोखिम निवेश पूंजी द्वारा किये जाने वाले निवेश को छोड़कर ट्रस्टों में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

4. भारत में निवेश करने के लिए पात्रता

(i) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति [4] (पाकिस्तान के नागरिकों को छोड़कर) या भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी (पाकिस्तान में निगमित किसी कंपनी से इतर) भारत सरकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अधीन भारत में निवेश कर सकता है। कोई व्यक्ति जो कि बांगलादेश का नागरिक हो अथवा कोई संस्था जो कि बांगलादेश में निगमित हो , प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्व अनुमति से भारत में निवेश कर सकता है ।

(ii) समुद्रपारीय निगमित निकाय (ओसीबी) का अर्थ है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम 60 प्रतिशत अनिवासी भारतीयों के स्वामित्ववाली एक कंपनी, साझेदारी फर्म, सोसाइटी और अन्य निगमित निकाय, जिसके समुद्रपारीय ट्रस्ट में कम से कम 60 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किंतु अपरिवर्तनीय हिताधिकार अनिवासी भारतीयों के पास हो । समुद्रपारीय निगमित निकायों (ओसीबी) की 16 सितंबर 2003 से निवेशकों के वर्ग के रूप में मान्यता समाप्त कर दी गई है। पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकाय, जिन्होंने अपने आप को भारत के बाहर निगमित कंपनी में परिवर्तित कर लिया है, को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत यदि निवेश सरकारी मार्ग के तहत है तो भारत सरकार और यदि स्वत: मार्ग के तहत है तो भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से भारत में नये निवेश करने की अनुमति है बशर्ते वे भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के प्रतिकूल सूची में नहीं है।

4 फेमा (भाग 2 त) के अनुसार "व्यक्ति" की परिभाषा निम्नानुसार है :

(क) एक व्यक्ति,

(ख) एक हिन्दु अविभक्त परिवार,

(ग) एक कंपनी,

(घ) एक फर्म,

(ङ) व्यक्तियों का एक संघ अथवा व्यक्तियों का एक निकाय, निगमित अथवा अनिगमित,

(च) प्रत्येक अकृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो उपर्युक्त उप-खंडों के अंतर्गत न आता हो, तथा

(छ) कोई एजेंसी, कार्यालय अथवा शाखा जो ऐसे व्यक्ति के मालियत/ नियंत्रण में हो;

- " भारत में निवासी व्यक्ति" का अर्थ- [फेमा की धारा 2 (v) के अनुसार]

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिनों से अधिक दिन भारत में निवास करनेवाला व्यक्ति है लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं-

(अ) एक व्यक्ति जो भारत से बाहर गया है अथवा भारत के बाहर रहता है, किसी भी एक मामले में

(क) भारत से बाहर रोजगार के लिए अथवा रोजगार करने के लिए, अथवा

(ख) भारत से बाहर कारोबार चलाने अथवा भारत से बाहर व्यवसाय(vocation) करने, अथवा

(ग) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो भारत से बाहर अनिश्चित समय के लिए रहने का उनका उद्देश्य दर्शाता हो;

(आ) भारत में आये या रहनेवाले किसी व्यक्ति, किसी भी एक मामले में, निम्नलिखित को छोड़कर

(क) भारत में रोजगार के लिए अथवा रोजगार करने के लिए, अथवा

(ख) भारत में कारोबार करने अथवा भारत में व्यवसाय करने, अथवा

(ग) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो भारत में अनिश्चित समय के लिए रहने के उनके उद्देश्य को दर्शाता हो;

(ii) भारत में पंजीकृत अथवा निगमित कोई व्यक्ति अथवा निगमित निकाय,

iii) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के मालियत अथवा नियंत्रण में कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी,

(iv) भारत में निवासी व्यक्ति के मालियत अथवा नियंत्रण में कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी;

- " भारत के बाहर निवासी व्यक्ति " का अर्थ भारत में निवास न करनेवाला व्यक्ति है;[फेमा की धारा 2(w) के अनुसार]

5. लिखतों के प्रकार

(i) भारतीय कंपनियां फेमा विनियमावली के तहत निर्धारित मूल्यांकन मानदण्डों के शर्तों के अधीन मुक्त रूप से ईक्विटी शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों और अधिमान शेयरों का निर्गम कर सकते हैं।

(ii) अन्य प्रकार निर्गम जैसे कि अपरिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय शेयरों को बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए लागू दिशा-निर्देशों की भाँति ही जारी करना है । चूंकि ये प्रलेख रुपये में मूल्यांकित हैं, रुपया ब्याज दर समकक्ष परिपक्वतावाले बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए अनुमत स्प्रेड को जोड़कर लिबोर के स्वैप समकक्ष के अधार पर होगा।

(iii) जहाँ तक डिबेंचर्स का प्रश्न है , जो एक विशिष्ट अवधि के भीतर पूर्णतया और अनिवार्य रूप से ईक्विटी में परिवर्तनीय हैं , विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अधीन ईक्विटी के भाग के रूप में माना जाएगा।

6. लघु उद्यमों (एमएसई) में निवेश

(i) किसी कंपनी की गणना निर्यातोन्मुख इकाई अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्र में इकाई अथवा निर्यात प्रोसेसिंग झोन में अथवा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में कंपनियों सहित लघु, छोटे तथा मझोले उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु उद्यमों (पहले लघु उद्योग इकाई) के रूप में की जाती है और जो संलग्नक I में उल्लिखित किसी कार्यकलाप/क्षेत्र में कार्यरत नहीं है, वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये अनुसार प्रविष्टि मार्ग तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन भारत के बाहर निवासी व्यक्ति (अनुमोदन मार्ग के तहत पाकिस्तान के निवासी तथा बांगलादेश के निवासी को छोड़कर) को शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला अथवा बिना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला कोई औद्योगिक उपक्रम जो कि लघु उद्यम नहीं है और जिसके पास लघु तथा छोटे उद्यम में विनिर्माण के लिए विनिर्माण मदें आरक्षित करने हेतु औद्योगिक (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस है वह अपने प्रदत्त पूंजी का 24 प्रतिशत तक के शेयर भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति (अनुमोदन मार्ग के तहत पाकिस्तान के निवासी तथा बांगलादेश के निवासी को छोड़कर) को जारी कर सकता है। प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक के शेयर जारी करने के लिए भारत सरकार के विदेशी निवेस संवर्धन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा तथा वह ऐसे अनुमोदन की शर्तों के अनुपालनाधीन होगा।

7. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निवेश (एआरसी)

(i) भारत के बाहर निवासी (विदेशी संस्थागत निवेशकों से इतर) को सरकारी मार्ग के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश की अनुमति है। ऐसे निवेशों के लिए स्वतः अनुमोदित मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसे निवेश सुनिश्चित रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के स्वरूपवाले ही होंगे और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेशों को अनुमति नहीं है।

(ii) तथापि, सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी किए गए प्रतिभूति रसीदों में निवेश करने की अनुमति है। विदेशी संस्थागत निवेशक प्रतिभूति रसीदों की प्रत्येक श्रृंखला के 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं बशर्ते प्रतिभूति रसीद योजना की प्रत्येक श्रृंखला में किसी

एकल विदेशी संस्थागत निवेशक का निवेश निर्गम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

8. प्रतिभूति बाज़ार में बुनियादी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों में निवेश

प्रतिभूति बाज़ार में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉज़िटरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, विदेशी निवेश की सेबी विनियमावली के अनुपालन में और निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति है :

(i) अलग से 26% की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा और 23% विदेशी संस्थागत निवेश की सीमावाले प्रदत्त पूंजी के 49% तक का विदेशी निवेश इन कंपनियों में अनुमत है;

(ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के विशिष्ट पूर्वानुमोदन के साथ होगी;

(iii) विदेशी संस्थागत निवेशक केवल अनुषंगी (सेकन्डरी) बाज़ार में खरीद द्वारा ही निवेश कर सकते हैं।

9. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों में निवेश

क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (विनियम)अधिनियम,2005 के अनुपालन के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों में , विदेशी निवेश की अनुमति है :-

(i) सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति केवल प्रदत्त पूंजी के 49% और विदेशी संस्थागत निवेश प्रदत्त पूंजी के 24 % तक ही है ।

(ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति केवल विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की विशिष्ट पूर्व अनुमोदन तथा भारतीय रिजर्व बैंक से विनियामक अनुमति के बाद ही दी जाएगी ।

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा 49% की समग्र सीमा के भीतर केवल सेकन्डरी मार्केट में खरीद के जरिए 24% तक निवेश की अनुमति है।

(iv) कोई भी विदेशी संस्थागत निवेशक अपने पास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 10 % से अधिक ईक्विटी नहीं रख सकता है ।

10. पण्य बाजारों में निवेश

पण्य बाजारों में निम्नलिखित शर्तों पर विदेशी निवेश की अनुमति है :-

i. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की 26% और विदेशी संस्थागत निवेश की 23%की सीमा सहित 49% तक का विदेशी निवेश की संयुकत सीमा है;

ii. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विशिष्ट अनुमोदन से अनुमत है;

iii. पण्य बाजारों में इक्विटी में विदेशी संस्थागत निवेश खरीदे सेकेंडरी मार्केट तक ही सीमित हैं।

iv. पण्य बाजारों में विदेशी निवेश भी वायदा मार्केट कमीशन के इस संबंध में जारी विनियमों के अनुपालन के अधीन हैं।

11. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निवेश

बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण)अधिनियम 1970/1980 की धारा 3(2 घ) के तहत यथा निधारित 20% की समग्र सीमा तक ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा संभागीय निवेश अनुमत हैं। यही सीमा ऐसे निवेशों के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों पर भी लागू है ।

12. नेपाल और भूटान से निवेश

नेपाल और भूटान में निवासी अनिवासी भारतीयों और नेपाल और भूटान के नागरिकों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों के शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों में प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश करने की अनुमति है बशर्ते ऐसे निवेशों की प्रतिफल राशि का भुगतान **मुक्त विदेशी मुद्रा** में आवक प्रेषणों के तौर पर सामान्य बैंकिंग चैनल अथवा अनिवासी भारतीयों के अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते के माध्यम से किया जाएगा।

13. राइट/बोनस शेयरों का निर्गम

फेमा के प्रावधान, सैक्टोरल कैप, अगर कोई हो, के अनुपालन के अधीन भारतीय कंपनियों को वर्तमान अनिवासी शेयर धारकों को स्वत्वाधिकार (राइट)/ बोनस शेयर मुक्त रूप से जारी करने की अनुमति देता है। तथापि, बोनस/ स्वत्वाधिकार (राइट) शेयरों के ऐसे निर्गम कंपनी अधिनियम, 1956, सेबी, पूंजी निर्गम और डिस्क्लोशर रिक्वार्यमेंट रेगुलेशन, 2009 आदि जैसे अन्य कानून/ अधिनियम के अनुसार होने चाहिए। भारतीय कंपनी द्वारा अनिवासी शेयरधारकों को अधिकार आधार पर प्रस्तावित शेयरों का मूल्य इस प्रकार होगा:

(i) भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों के मामले में कंपनी द्वारा निर्धारित किये अनुसार मूल्य पर

(ii) भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न की गई कंपनी के शेयरों के मामले में कंपनी द्वारा निर्धारित किये अनुसार मूल्य पर निवासी शेयरधारकों को अधिकार आधार पर प्रस्ताव किये गये शेयरों के मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए।

14. पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकायों को स्वत्वाधिकारों के निर्गम के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमतिः

समुद्रपारीय निगमित निकायों की निवेशकों की एक श्रेणी के रूप में मान्यता को 16 सितंबर 2003 से हठा लिया गया है। अतः ऐसे पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकायों को अधिकार शेयर जारी करने के इच्छुक कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक [5] से विशिष्ट पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।अतः समुद्रपारीय निगमित निकायों को अधिकार शेयरों का हक़ स्वतः उपलब्ध नहीं है। तथापि , पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकायों को भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना शेयर जारी किए जा सकते हैं ।

15. निवासियों द्वारा अनिवासियों को अतिरिक्त शेयर स्वत्वाधिकार नियत करना

वर्तमान अनिवासी शेयरधारकों को अपने राइट शेयरों की पात्रता के अलावा अतिरिक्त शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ अधिमान शेयरों के निर्गम के लिए आवेदन करने की अनुमति है। निवेशिती कंपनी अभिदान न दिए गए (अन्सस्क्राइब्ड) शेयरों में से अतिरिक्त स्वत्वाधिकार शेयर आबंटित कर सकती है, बशर्ते कंपनी के कुल प्रदत्त पूंजी में अनिवासी को जारी समग्र शेयर क्षेत्रीय सीमा (सेक्टोरल कैप) से अधिक न हो।

<table>
<tr><td>16.</td><td colspan="2">समामेलन/ विलयन योजना के अंतर्गत शेयरों का अभिग्रहण</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">भारत में कंपनियों का विलयन या समामेलन सामान्यतः, विलयन/ समामेलित हो रही कंपनियों द्वारा प्रस्तुत योजना के आधार पर एक सक्षम कोर्ट के आदेश द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक बार दो या अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन या समामेलन की योजना भारत में किसी कोर्ट द्वारा अनुमोदित किए जाने पर अंतरिती कंपनी अथवा नई कंपनी, अंतरणकर्ता कंपनी के भारत से बाहर निवासी शेयर होल्डरों को शेयर जारी कर सकती है बशर्ते :</td></tr>
<tr><td></td><td>(i)</td><td>अंतरिती अथवा नई कंपनी में भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों की शेयरधारिता का प्रतिशत सेक्टोरल कैप से अनधिक है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td>अंतरणकर्ता कंपनी या अंतरिती या नई कंपनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति (उपर्युक्त का पैरा 3 देखें) में निषिद्ध कार्यकलाप में कार्यरत नहीं है।</td></tr>
<tr><td>17.</td><td colspan="2">कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के अंतर्गत शेयर जारी करना</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2">सूचीबद्ध भारतीय कंपनी ईएसओपीएस के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को या विदेश स्थित अपने संयुक्त उद्यम या पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं के कर्मचारियों को, जो पाकिस्तानी नागरिक से इतर हों, शेयर जारी कर सकती है। ईएसओपी के अंतर्गत शेयर सीधे</td></tr>
</table>

[5] प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को संबोधित आवेदन किये जाने चाहिए।

	ही या किसी न्यास के जरिए जारी किए जा सकते हैं बशर्ते :	
	(क)	योजना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी विनियमों के अनुसार बनाई गई हो; और
	(ख)	योजना के अंतर्गत अनिवासी कर्मचारियों को आबंटित किए जाने वाले शेयरों के अंकित मूल्य जारीकर्ता कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक न हो।
(ii)	अगर कंपनी सूचीबद्ध न हो तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। भारतीय कंपनी, पाकिस्तान के नागरिकों को छोड़कर भारत के बाहर निवासी कर्मचारियों को ईएसओपी जारी कर सकती है। बांगलादेश के नागरिक को एफआईपीबी के पूर्व अनुमोदन से ईएसओपी जारी किया जा सकता है।	
(iii)	जारीकर्ता कंपनी, ईएसओपी के अंतर्गत शेयरों को जारी करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर ऐसे निर्गमों के ब्योरे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करें।	

18.	**विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की रिपोर्टिंग**	
(i)	**आवक प्रेषणों की रिपोर्टिंग :**	
	(क)	योजना के तहत शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ अधिमान शेयर के निर्गम के लिए भारत वेश प्राप्त करनेवाली भारतीय कंपनी, आवक प्रेषणों के ब्योरे प्राप्ति की तारीख से 30 भारतीय रिज़र्व बैंक के सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उसके प्राधिकृत व्यापारी जरिए संलग्नक 6 में दिये गये अग्रिम रिपोर्टिंग फॉर्म में रिपोर्ट करें। उपर्युक्त अनुपालन नहीं किये जाने पर फेमा के तहत उल्लंघन माना जाएगा और धान लागू होगा। यह फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट www.rbi.org.in/Scripts/view Fema Forms.aspx.से डाउनलोड किया जा सकता है।
	(ख)	भारतीय कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ अधिमान शेयर के निर्गम के लिए भारत के बाहर से निवेश प्राप्त राशि के ब्योरे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के जरिये रिपोर्ट करें और उसके साथ विदेश से धन प्रेषण करने वाले बैंक से प्राप्त अनिवासी निवेशक के संबंध में " अपने ग्राहक को जानिये " रिपोर्ट (संलग्नक -7 के अनुसार) तथा प्रेषण प्राप्ति के सबूत के तौर पर एफआईआरसीएस की प्रति/ प्रतियां भी प्रस्तुत करें। भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिपोर्ट प्राप्ति की पावती दी जायेगी और रिपोर्ट की गयी राशि के लिए एक यूनीक नंबर (यूएनआई) आबंटित किया जायेगा।

(ii)	**समय सीमा जिसके भीतर शेयर जारी किये जाने हैं** आवक प्रेषण की प्राप्ति अथवा अनिवासी निवेशक का एनआरई/एफसीएनआर (बैंक) खाता डेबिट करने की तारीख से 180 दिनों के भीतर इक्विटी लिखत जारी कर दिए जाने चाहिए । यदि आवक प्रेषण की प्राप्ति अथवा अनिवासी निवेशक का एनआरई/एफसीएनआर (बैंक) खाता डेबिट करने की तारीख से 180 दिनों के भीतर इक्विटी लिखत नहीं जारी किये जाते हैं तो उस स्थिति में प्राप्त प्रेषण की राशि सामान्य बैंकिंग चैनेल के जरिये अथवा अनिवासी निवेशक का एनआरई/एफसीएनआर (बैंक) खाता को क्रेडिट करके तत्काल उसे लौटा दी जाये । उपर्युक्त प्रावधान न किये जाने पर इसे फेमा के तहत उल्लघन माना जायेगा और दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी । अपवाद स्वरूप , आवक प्रेषण की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर प्राप्त प्रेषण की राशि न लौटाये जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे मामले में उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा ।	
(iii)	**शेयरों के निर्गम की रिपोर्टिंग**	
(क)	शेयर जारी करने के बाद (स्वत्वाधिकार आधार पर जारी बोनस तथा शेयरों सहित) तथा कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना(इएसओपी) के तहत जारी शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ परिवर्तनीय अधिमान शेयरों को जारी करने के बाद भारतीय कंपनी को अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के जरिए शेयर जारी करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर संलग्नक-8 में दिये गये फार्म एफसी - जीपीआर में एक रिपोर्ट दर्ज़ करनी है । यह फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट www.rbi.org.in/Scripts/view Fema Forms.aspx.से डाउनलोड किया जा सकता है । उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किये जाने पर फेमा के तहत उल्लंघन माना जाएगा और दंडात्मक प्रावधान लागू होगा।	
(ख)	फार्म एफसी-जीपीआर का भाग-अ, कंपनी के प्रबंध निदेशक/ निदेशक / सेक्रेटरी द्वारा विधिवत भरने और हस्ताक्षरित होने के बाद कंपनी के प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किया जाए और प्राधिकृत व्यापारी उसे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करेगा। भाग-अ, के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित है ;	
(i)	कंपनी के सचिव से यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि :	
	(क)	कंपनी अधिनियम, 1956 के सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;
	(ख)	सरकारी अनुमोदन की शर्तों, यदि कोई हो, का पालन किया गया है;
	(ग)	कंपनी इन विनियमों के अधीन शेयर जारी करने के लिए पात्र है; तथा
	(घ)	कंपनी के पास प्रतिफल की राशि की प्राप्ति के सत्यापन में भारत में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं;

(ii)	भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को जारी शेयरों के मूल्य निर्धारित करने के तरीके दर्शाते हुए मर्चेंट बैंकर श्रेणी-I अथवा सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र।
(ग)	प्रतिफल प्राप्त करने की रिपोर्ट के साथ साथ एफसी-जीपीआर फार्म की एक रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।
(घ)	एफसी-जीपीआर का भाग-आ भारतीय कंपनियों द्वारा वार्षिक आधार पर सीधे रिज़र्व बैंक [6] के पास फाइल किया जाए । यह एक वार्षिक विवरणी है जो कि पिछले वर्ष वर्ष के दौरान (अर्थात् भाग- आ में 31 जुलाई 2010 को फाइल की गई जानकारी पिछले वर्ष 31 मार्च 2010 तक किये गये भारतीय कंपनियों में निवेशों से संबंधित होगी),प्रत्यक्ष/ संविभाग निवेश/ पुनःनिवेशित अर्जनों/ अन्य भारतीय कंपनियों में किये गये निवेशों के संबंध में सभी कंपनियों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक फाइल किया जाना है । निवेशों के संबंध में दी जानी वाली जानकारी में तुलनपत्र की तारीख को किसी कंपनी में किये गये सभी बकाया निवेश सम्मिलित रहेंगे । विदेशी प्रत्यक्ष/ संविभाग, दोनों निवेशों के ब्योरे अलग से निर्दिष्ट किये जायें।
(ङ)	भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को सीधे अथवा वर्तमान भारतीय कंपनी के साथ समामेलन/ विलयन पर बोनस/ अधिकार शेयर अथवा स्टॉक विकल्प के निर्गम और बाह्य वाणिज्यिक उधार/ रॉयल्टी/ एकमुश्त तकनीकी जानकारी शुल्क/ विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात के परिवर्तन पर शेयर के निर्गम को फार्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट करना चाहिए।

19. निर्गम मूल्य [7]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत, भारत से बाहर रह रहे निवासी व्यक्तियों को जारी किए गए शेयरों के मूल्य सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के मामलों में सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे। असूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, शेयरों का मूल्यांकन डिस्काउंट फ्री कैश फ्लो मेथड़ (DCF) के अनुसार सेबी के पंजीकृत सनदी लेखाकार द्वारा किया जाना चाहिए। यदि शेयरों का निर्गम अधिमान आबंटन पर होता है तो मूल्य निवासी से अनिवासी को शेयरों के अंतरण पर यथालागू मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।

20. विदेशी मुद्रा खाता

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को शेयर के निर्गम करने के लिए पात्र भारतीय कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से विदेशी मुद्रा खाते में शेयर अभिदान राशि रखने की अनुमति दी जाएगी।

21. शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण

विदेशी निवेशकों को भी भारतीय शेयरधारकों अथवा अन्य अनिवासी शेयरधारकों से शेयर की खरीद/ अधिग्रहण द्वारा भारतीय कंपनियों में निवेश करने की अनुमति है। अनिवासियों/

अनिवासी भारतीयों को निम्नलिखित शर्तों पर अंतरण के तौर पर शेयर अधिग्रहण करने की सामान्य अनुमति है :-

(क) **अनिवासी भारतीय सहित अनिवासी द्वारा अनिवासी को शेयरों की बिक्री / उपहार:** भारतीय के बाहर निवासी व्यक्ति (अनिवासी भारतीय और समुद्रपारीय निगमित निकाय को छोडकर) भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति (अनिवासी भारतीय सहित) को बिक्री अथवा उपहार के तौर पर शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर का अंतरण कर सकता है।

(ख) **अनिवासी भारतीय द्वारा अनिवासी भारतीय को शेयरों की बिक्री/ उपहार:** अनिवासी भारतीय व्यक्ति अपने पास धारित शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर बिक्री अथवा उपहार के तौर पर दूसरे अनिवासी भारतीय को अंतरित कर सकते हैं।

उपर्युक्त दोनों मामलों में, अगर 12 जनवरी 2005 को अंतरिती का भारत में उसी क्षेत्र में निवेश/ तकनीकी सहयोग/ ट्रेड मार्क करार पूर्व वेंचर अथवा टाइ-अप है जिसमें वह कंपनी, जिसका शेयर अंतरित किया जा रहा है, कार्यरत है, तो उसे एसआइए/ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। तथापि, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत उद्यम पूंजी निधियों ,बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (अर्थात् एडीबी, आइएफसी, सीडीसी, डीईजी) अथवा जहाँ मौजूदा संयुक्त उद्यम में, दोनो में से किसी भी एक पार्टी द्वारा 3% से कम का निवेश हो अथवा जहाँ मौजूदा संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्था निष्क्रिय अथवा रुग्ण हो अथवा शेयरों के अंतरण के लिए भारतीय कंपनी सूचना प्रौद्यौगिकी अथवा खदान के क्षेत्र में कार्यरत हो , यदि मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्यौगिकी अंतरण/ उस व्यक्ति जिसको कि शेयरों का अंतरण किया जाना है वह भी सूचना प्रौद्यौगिकी अथवा खदान के क्षेत्र में / उसी खनिज में कार्यरत हो तो शेयरो के अंतरण के लिए यह निषेध लागू नहीं है।

(ग) **अनिवासी से निवासी को उपहार:** भारत के बाहर निवासी व्यक्ति भारत में निवासी किसी व्यक्ति को उपहार के तौर पर किसी भी प्रतिभूति का अंतरण कर सकता है।

(घ) **स्टॉक एक्सचेंज में अनिवासी द्वारा शेयरों की बिक्री:** भारत के बाहर निवासी व्यक्ति किसी पंजीकृत ब्रोकर अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत किसी मर्चेंट बैंकर के माध्यम से भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर बेच सकता है।

(ङ) **निवासी द्वारा अनिवासी को शेयरों की बिक्री:** भारत में निवासी व्यक्ति , संलग्नक -3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अधीन वित्तीय सेवा क्षेत्र (अर्थात् बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, बीमा, एआरसी और सेक्यूरिटी मार्केट में मूलभूत सेवाएं प्रदान करनेवाले जैसे स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, निक्षेपागार और मंडियां आदि) को छोड़कर अन्य क्षेत्र में

भारतीय कंपनी के शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर (प्रयोजक के शेयर के अंतरण सहित) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को निजी आयोजन के तहत बिक्री के तौर पर अंतरित कर सकता है।

(च) **अनिवासी द्वारा निवासी को शेयरों की बिक्री- निजी व्यवस्था:** संलग्नक -3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अधीन भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को भी बिक्री के तौर पर निजी व्यवस्था के तहत भारत में निवासी व्यक्ति को शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर अंतरित करने की सामान्य अनुमति है।

(छ) उपर्युक्त सामान्य अनुमति, पहले सरकारी मार्ग से कवर किए गए किन्तु अब स्वतः अनुमोदित के तहत आनेवाले कार्यकलाप में लगी हुई भारतीय कंपनी के शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचरों को निवासियों से अनिवासी को अंतरित करने तथा कंपनी के बाय-बैक और/ अथवा पूंजी कम करने की योजना के तहत किसी भारतीय कंपनी को अनिवासी द्वारा शेयरों के अंतरण के लिए भी उपलब्ध है। तथापि, यह सामान्य अनुमति वित्तीय सेवा क्षेत्र (अर्थात् बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, एआरसी) , प्रतिभूति बाजार में बीमा और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्यकलाप (जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिडग कारपोरेशन, निक्षेपागो और मंडियों आदि) में लगी किसी कंपनी के शेयर/ डिबेंचर के अंतरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

(ii) निवासियों और अनिवासियों तथा अनिवासियों और निवासियों के बीच शेयरों के अंतरण की रिपोर्टिंग फार्म एफसी-टीआरएस (संलग्नक-9 में संलग्न) में की जानी चाहिए। यह फार्म प्राधिकृत व्यापारी बैंक को, प्रतिफल की राशि की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फार्म एफसी- टीआरएस क निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुतीकरण की जिम्मेदारी भारत में निवासी अंतरणकर्ता/ अंतरिती की होगी। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उसे अपने लिंक कार्यालय को अग्रेषित करेगा। लिंक कार्यालय फार्म को समेकित करेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक [8] को एक मासिक रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

(iii) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा खरीदे गये ईक्विटी लिखितों की बिक्री से प्राप्त राशि जो कि सामान्य बैंकिंग चैनेल के जरिये भारत को प्रेषित की गई थी , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा धन प्राप्ति के समय ही उसकी ' अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों के तहत जांच-पड़ताल करना अपेक्षित है । यदि प्रेषण प्राप्तकर्ता प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक और अंतरण लेनदेन का कारोबार कर रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक अलग अलग हों तो ' अपने ग्राहक को जानिए' संबधी जांच-पड़ताल प्रेषण प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा की जाये और ग्राहक द्वारा फॉर्म एफसी-टीआरएस के साथ ' अपने ग्राहक को जानिए' की रिपोर्ट अंतरण लेनदेन का कारोबार कर रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक को प्रस्तुत की जाये।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को अनिवासी कॉर्पोरेट्स द्वारा ओपन ऑफर/ एक्ज़िट ऑफर

और डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स के लिए एस्क्रौ खाता और विशेषा खाता खोलने की सामान्य अनुमति दी गई है। संबद्ध सेबी (एसएएसटी) विनियमावली अथवा अन्य लागू सेबी विनियमावली/ कपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होंगे।

22. प्रतिभूति अंतरण के कतिपय मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति

(i) निवासियों से अनिवासियों को बिक्री के तौर पर शेयरों के अंतरण के निम्नलिखित मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित है :

(क) वित्तीय क्षेत्र (अर्थात् बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, बीमा और प्रतिभूति बाजार में बुनियादी सुविधा प्रदाता जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिडग कॉरपोरेशन और मंडियों आदि)) में कार्यरत भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण।

(ख) सेबी (सब्स्टैन्शियल एक्विसिशन आफॅ शेयर्स एण्ड टेकओवर्स) विनियमावली, 1997 के प्रावधानों के दायरे में आनेवाले लेनदेन।

(ग) किसी भारतीय कंपनी का कार्यकलाप जिसकी प्रतिभूतियां अंतरित की जा रही है और जो स्वत:-अनुमोदित मार्ग के दायरे में नहीं आती हैं और उपर्युक्त अंतरण हेतु विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

(घ) जब अंतरण उस मूल्य पर किया जा रहा हो जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों के दायरे के बाहर हो।

(ङ) ईक्विटी लिखतों का अंतरण जहाँ पर कि अनिवासी अर्जक प्रतिफल की राशि का भुगतान स्थगित रखने का प्रस्ताव देता है , वहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है । इसके अतरिक्त , यदि लेनदेन के लिए अनुमति प्रदान कर दी जाती है है तो , उसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक द्वारा विधिवत् प्रमाणित फॉर्म एफसी-टीआरएस में प्रतिफल की पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट किया जाये ।

(ii) निवासियों से अनिवासियों को बिक्री द्वारा अथवा अन्यथा शेयरों के अंतरण के निम्नलिखित मामलों में सरकार के अनुमोदन और उसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति अपेक्षित है :

(क) सरकारी मार्ग के तहत आने वाले क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के शेयरों का अंतरण।

(ख) लागू सेक्टोरल सीमाओं का उल्लंघन करते हुए शेयरों का अंतरण जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश होता हो।

(iii) भारत में निवासी व्यक्ति, जो किसी प्रतिभूति को उपहार के तौर पर भारत के बाहर किसी निवासी व्यक्ति को अंतरित करना चाहता है, रिज़र्व बैंक [9] की पूर्व अनुमति प्राप्त करें । किसी प्रतिभूति को उपहार के तौर पर अंतरण की अनुमति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन भेजते समय संलग्नक -4 में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न किये जायें । भारतीय रिज़र्व बैंक आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता है :

(क) प्रस्तावित आदाता (donee), समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1, 4 और 5 के तहत ऐसी प्रतिभूति धारित करने के लिए पात्र है।

(ख) उपहार भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी/ डिबेंचर की प्रत्येक सिरीज़/ प्रत्येक म्यूचुअल फंड योजना के 5 प्रतिशत से अधिक न हो ।

(ग) भारतीय कंपनी में लागू सेक्टोरल सीमा/ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(घ) अंतरणकर्ता (दाता) और प्रस्तावित अंतरिती (आदाता) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित निकट संबंधी हैं। चालू सूची संलग्नक 5 में पुनःप्रस्तुत की गई है।

(ङ) भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को उपहार के तौर पर अंतरिती द्वारा पहले से अंतरित किसी प्रतिभूति को जोड़कर अंतरण की जानेवाली प्रतिभूति का मूल्य एक **कैलण्डर वर्ष के दौरान** 25,000 अमरीकी डॉलर के समतुल्य रुपये से अधिक न हो ।

(च) लोक हित में समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित ऐसी अन्य शर्तें।

23. विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक उधार/ एकमुश्त शुल्क/ रॉयल्टी / पूंजीगत माल के निर्यात का ईक्विटी में परिवर्तन

(i) भारतीय कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार के शेयर/ अधिमान शेयर में परिवर्तन करने की सामान्य अनुमति दी गई है।

क) कंपनी के कार्यकलाप विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत कवर किए गए हैं अथवा कंपनी में विदेशी ईक्विटी के लिए कंपनी ने सरकारी अनुमोदन प्राप्त किया है,

ख) बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन करने के बाद विदेशी ईक्विटी, सेक्टोरल

सीमा, यदि कोई हो, के अंदर है,

ग) शेयरों का मूल्य निर्धारण, सूचीबद्ध अथवा असूचीबद्ध कंपनियों के मामलों में क्रमशः सेबी विनियमावली अथवा डीसीएफ पद्धति के अनुसार है।

घ) लागू किसी अन्य कानून अथवा विनियम के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन।

(ङ) यह परिवर्तन सुविधा, स्वतः अनुमोदित अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए उपलब्ध है। यह बाह्य वाणिज्यिक उधार, चाहे वे भुगतान के लिए देय हो या न हो, और अनिवासी सहयोगी संस्थाओं से लिए गए सुरक्षित/ असुरक्षित ऋणों के लिए भी लागू होगा।

(ii) स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा एसआइए/ एफआइपीबी मार्ग के तहत एकमुश्त तकनीकी जानकारी शुल्क, रॉयल्टी पर शेयर/ अधिमान शेयर के निर्गम के लिए भी सामान्य अनुमति उपलब्ध है, बशर्ते यह सेबी अथवाडीसीएफ पद्धति के तहत हो और कर संबंधी लागू कानूनों का अनुपालन किया गया हो।

(iii) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को पूंजी माल के आयात पर अनिवासियों को ईक्विटी शेयर के निर्गम की अनुमति है, बशर्ते मूल्यांकन ऐसी समिति द्वारा किया जाए जिसमें डेवलेप्मेंट कमीशनर और उचित सीमा शुल्क अधिकारी शामिल हों।

(iv) रिपोर्टिंग

बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिवर्तन पर शेयर के निर्गम के ब्योरे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निम्नवत् रिपोर्ट किया जाए :

क) बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में **पूर्ण परिवर्तन** के मामले में कंपनी ऐसे परिवर्तन, संबद्ध महीने की समाप्ति से सात कार्य दिवस के अंदर, फार्म एफसी-जीपीआर में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को और फार्म ईसीबी-2 में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400051 को रिपोर्ट करें। ईसीबी-2 फार्म के ऊपरी भाग में "ईक्विटी में पूर्ण रूप से परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएं। एक बार रिपोर्ट करने पर बाद के महीनों में ईसीबी-2 फाइल करना आवश्यक नहीं है।

ख) बाह्य वाणिज्यिक उधार के **आंशिक परिवर्तन** के मामले में कंपनी, परिवर्तित भाग को अपरिवर्तित भाग से स्पष्ट रूप से भिन्न दिखाते हुए, परिवर्तित भाग की रिपोर्टिंग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को फार्म एफसी-जीपीआर और ईसीबी-2 में करें। ईसीबी-2 फार्म के ऊपरी भाग में "ईक्विटी में आंशिक रूप से परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएं। बाद के महीनों में बाह्य वाणिज्यिक उधार का शेष भाग सांख्यिकी और सूचना

प्रबंध विभाग को ईसीबी-2 फार्म में रिपोर्ट किया जाए।

ग) उपर्युक्त पैरा (iii) में दर्शाए अनुसार ईक्विटी के निर्गम करने वाली विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई निर्गमित शेयरों के ब्योरे फार्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट करें।

24. बिक्री आय का प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी– I बैंक भारत के बाहर निवासी शेयर के विक्रेता को किसी प्रतिभूति के बिक्री आय के विप्रेषण (लागू करों के निवल) की अनुमति दे सकता है बशर्ते प्रतिभूति प्रत्यावर्तन आधार पर धारित किया गया हो, प्रतिभूति की बिक्री निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया हो और आयकर विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र/ कर बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो।

25. कंपनियों के बंद होने/ परिसमापन पर विप्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति प्रदान की गई है कि वे भारत में बंद हो रही उन कंपनियों, जो कि परिसमापन के अधीन हैं, की परिसमापन -आय को करों का भुगतान करते हुए विप्रेषित करें । इन कंपनियों का परिसमापन कोर्ट द्वारा जारी किसी आदेश के अनुसरण में अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत स्वेच्छा से कार्यालयीन परिसमापन के कारण हो सकता है । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विप्रेषण की अनुमति देंगे बशर्ते कि आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें।

(i) विप्रेषण के लिए आयकर विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा आयकर बेबाकी प्रमानपत्र

(ii) लेखापरीक्षक का इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि भारत में अपनी सभी देयताएं अदा कर दी गयी हैं अथवा पर्याप्त प्रावधान कर लिया गया है ।

(iii) लेखापरीक्षक का इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि कंपनी के परिसमापन कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

(iv) कोर्ट के अलावा अन्य किसी प्रकार से कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, लेखापरीक्षक का इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि आवेदक अथवा कंपनी के विरुद्ध भारत में किसी कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है अथवा कंपनी परिसमापन के अधीन नहीं है और विप्रेषण की अनुमति देने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है ।

26. एडीआर/जीडीआर के अंतर्गत भारतीय कंपनियों द्वारा शेयरों का निर्गम

i) डिपाजिटरी रसीदें ,भारतीय कंपनी की ओर से किसी डिपाजिटरी बैंक द्वारा भारत के बाहर जारी परक्राम्य प्रतिभूति हैं जो भारत में कस्टोडियन बैंक द्वारा अमानत के तौर पर धारित कंपनी के स्थानीय रुपया मूल्यवर्ग के ईक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। अमरीका, सिंगापुर, लक्ज़म्बर्ग, लंडन आदि देशों के स्टॉक एक्सचेंजों में डिपाजिटरी रिसीट के लेनदेन किए जाते हैं। अमरीकी बाज़ारों में

सूचीबद्ध और खरीदे-बेचे जानेवाले डिपाजिटरी रिसीट को अमेरिकन डिपाजिटरी रिसीट (एडीआर) कहा जाता है और अन्य देशों में सूचीबद्ध और खरीदे-बेचे जानेवाले डिपाजिटरी रिसीट को ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीट (जीडीआर) कहा जाता है। भारत में डिपाजिटरी रिसीटों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश माना जाता है।

ii) भारतीय कंपनी, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयरों के निर्गम (डिपाजिटरी रिसीट मेकनिज़म के माध्यम से) योजना, 1993 और समय-समय पर उसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में एडीआर/ जीडीआर के निर्गम के माध्यम से विदेश में विदेशी मुद्रा संसाधन उगाह सकते हैं।

iii) कंपनी एडीआर/ जीडीआर जारी कर सकती है अगर वह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को शेयर जारी करने के लिए पात्र है। तथापि, ऐसी कंपनी जिसके प्रतिभूति बाजार में पहुंच पर सेबी ने रोक लगाई है सहित एक भारतीय सूचीबद्ध कपनी जो भारतीय पूंजी बाज़ार से निधि उगाहने के लिए पात्र नहीं है, एडीआर/ जीडीआर जारी करने के लिए पात्र नहीं होगी।

iv) ऐसे समुद्रपारीय लिखतों के निर्गम करने के इच्छुक असूचीबद्ध कंपनियों को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पूंजी उगाहने के लिए अब तक एडीआर/ जीडीआर मार्ग का उपयोग नहीं किया है, घरेलू बाज़ार में पहले से या साथ-साथ सूचीबद्ध होने की आवश्यकता है। असूचीबद्ध कंपनियों को, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पहले ही एडीआर/ जीडीआर जारी कर चुकी हैं, लाभ कमाने की शुरुआत पर अथवा ऐसे एडीआर/ जीआर के निर्गम के तीन वर्ष के अंदर, जो भी पहले हो, घरेलू बाज़ार में सूचीबद्ध होने की आवश्यकता है।

भारतीय कंपनी निर्गम के अग्रणी प्रबंधक से सलाह मशविरा कर निकाले गए अनुपात के आधार पर एडीआर/ जीडीआर जारी कर सकती है। इस तरह उगाहे गए प्राप्यों को उस समय तक विदेश में रखा जाए जब तक भारत में उनकी वास्तव में जरूरत न हो। प्राप्यों के प्रत्यावर्तन अथवा उपयोग तक भारतीय कंपनी निम्नलिखित में निधियों को निवेश कर सकती है :-

(क) स्टैंडर्ड एण्ड पुअर, फिच, आइबीसीए और मूडीज़, आदि द्वारा रेटिंग किए गए बैंकों द्वारा प्रस्तावित सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अथवा अन्य लिखतों के साथ प्रस्तावित जमा और ऐसे रेटिंग समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित रेटिंग से कम न हो।

(ख) भारतीय प्राधिकृत व्यापारी का भारत के बाहर स्थित शाखा में जमा, और

(ग) एक वर्ष अथवा उससे कम की परिपक्वता अथवा असमाप्त परिपक्वता अवधिवाले खजाना बिल और अन्य मौद्रिक लिखतें।

(v) ऐसी निधियों को स्थावर संपदा अथवा स्टॉक मार्केट में अभिनियोजन/निवेश पर निषेध से इतर कोई अंतिम उपयोग प्रतिबंध नहीं है। भारतीय कंपनी द्वारा एडीआर/जीडीआर उगाहे जाने पर कोई मौद्रिक

सीमा नहीं है।

(vi) एडीआर/जीडीआर की आय का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/ उद्यमों के विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों के प्रथम चरण के अधिग्रहण साथ ही उनके अपेक्षित महत्व को देखते हुए जनता को अनिवार्य द्वितीय चरण प्रस्ताव में भी किया जा सकता है।

(vii) इस योजना के तहत जारी शेयरों पर मतदान का अधिकार कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार और ऐसे तरीके से होगा जिसमें एडीआर/ जीडीआर निर्गमों पर लगाया गया मतदान अधिकार पर प्रतिबंध कंपनी कानून के प्रावधानों से संगत होगा। बैंकिंग कंपनी के मामले में मतदान अधिकार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों तथा मतदान अधिकार का प्रयोग करनेवाले सभी शेयरधारकों पर यथालागू भारतीय रिज़र्व बैंक [10] द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जारी रहेगा।

(viii) पूर्ववर्ती विदेशी कंपनी निकाय, जो पोर्टफोलियो मार्ग के माध्यम से भारत में निवेश के लिए पात्र नहीं हैं और सेबी द्वारा प्रतिभूति खरीदने, बेचने और उसमें कारोबार करने की मनाहीवाली कंपनियां, एडीआर/ जीआर में अभिदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ix) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाँड और सामान्य शेयर (डिपोजिटरी रसीद मैकेनिज़्म के जरिये) योजना, 1993 के निर्गम योजना के प्रावधानों और समय- समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अधीन निर्धारित कीमत पर प्रायोजित एडीआर/जीडीआर निर्गमों का मूल्यांकन किया जायेगा।

27. द्विमार्गी विनिमेयता प्रणाली

भारत सरकार ने एडीआर/ जीडीआर के लिए सीमित द्विमार्गी विनिमेयता प्रणाली शुरू की है। इस योजना के तहत सेबी में पंजीकृत भारतीय दलाल समुद्रपारीय निवेशक से प्राप्त अनुदेश के आधार पर एडीआर/ जीडीआर में परिवर्तन के लिए बाजार से भारतीय कंपनी के शेयर खरीद सकता है। एडीआर/ जीडीआर को पुनः जारी करने की अनुमति एडीआर/ जीडीआर की उस सीमा तक होगी जो घरेलू बाजार में निहित अंडरलाइंग शेयरों के रूप में भुनाया गया है और भारतीय बाज़ार में बेचा गया है।

28. प्रायोजित एडीआर/ जीडीआर निर्गम

भारतीय कंपनी एडीआर/ जीडीआर के निर्गम को प्रायोजित भी कर सकती है। इस प्रणाली के तहत, कंपनी अपने निवासी शेयरधारकों को इसका विकल्प देती है कि वे अपने शेयर कंपनी को वापस लौटा दें ताकि ऐसे शेयरों के आधार पर विदेश में एडीआर/जीडीआर जारी किए जा सकें। एडीआर/ जीडीआर जारी करने से प्राप्त राशि भारत में पुनः प्रेषित की जाती है और इसे उन निवासी निवेशकों में बांटा जाता है जिन्होंने अपने रूपए मूल्यवर्ग के शेयर परिवर्तन हेतु दिए थे। इन प्राप्त राशियों को उन शेयरधारकों द्वारा जिन्होंने ऐसे शेयरों को एडीआर/ जीडीआर में परिवर्तन के लिए दिया था भारत में

निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाते में रखा जा सकता है।

29. एडीआर/ जीडीआर निर्गमों की रिपोर्टिंग

एडीआर/ जीडीआर जारी करने वाली भारतीय कंपनी, ऐसे निर्गम के पूर्ण ब्योरे संलग्नक-10 में संलग्न फॉर्म में, निर्गम के बंद होने की तारीख से 30 दिन के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। कंपनी संलग्नक-11 में संलग्न फार्म में एक तिमाही विवरणी भी कैलेंडर तिमाही के बंद होने से 15 दिन के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। तिमाही विवरणी तब तक प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है जब तक कि भारती रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार , एडीआर/ जीडीआर मैकेनिज्म के जरिये उगाही गई पूरी रकम यता तो भारत को प्रत्यावर्तित न कर दी जाये अथवा विदेश में उसका उपयोग न कर लिया जाये।

30. शेयर गिरवी रखना

भारत में पंजीकृत किसी कंपनी का प्रवर्तक होने के नाते कोई व्यक्ति जिसने बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाह लिया है वह उधारकर्ता कंपनी द्वारा उगाहे गये बाह्य वाणिज्यिक उधार को सुरक्षित रखने के प्रयोजन से उधारकर्ता कंपनी अथवा उसके सहयोगी निवासी कंपनी के शेयर गिरवी रख सकता है। प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि बाह्य वाणिज्यिक उघार बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए वर्तमान फेमा के विनियमों के अनुसार है, वह इस प्रकार की गिरवी के लिए अनापत्ति जारी कर सकेगा और कि

i) ऋण करार पर उधारकर्ता तथा उधारदाता, दोनों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हो,
ii) उधारकर्ता ने भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त की हो,
तथा यह निम्नलिखित शर्तों पर हों:

i) इस प्रकार की गिरवी की अवधि पूर्वाधिकार बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता के साथ सामंज्य स्तापित करता हो।
ii) गिरवी के अनुरोध के मामले में अंतरण वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगा।
iii) सांविधिक लेखा परीक्षक ने यह प्रमाणित किया हो कि उधारकर्ता कंपनी केवल अंतिम उपयोग/ उपयोगों के लिए ही बाह्य वाणिज्यिक उधार के आगम(आय) का उपयोग करेगी/ उसने उपयोग किया है।

भाग II

विदेशी संविभाग निवेश

1. संविभाग निवेश योजना

(i) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक और अनिवासी भारतीय संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों द्वारा शेयर जारी और परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीदने के लिए पात्र हैं।

(ii) सेबी द्वारा पंजीकरण प्रदान किए गए विदेशी संस्थागत निवेशक विदेशी मुद्रा खाता और/ अथवा अनिवासी विशेष रुपया खाता खोलने के लिए अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक (कस्टोडियन बैंक के रूप में जाने जाते हैं) से संपर्क करें।

(iii) अनिवासी भारतीय, योजना के तहत निवेश के लिए अनिवासी बाह्य खाता/ अनिवासी सामान्य खाता खोलने की अनुमति के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंक की संबंधित नामित शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

2 विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के तहत निवेश

सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाता को संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने के लिए रिज़र्व बैंक ने सामान्य अनुमति प्रदान की है।

(i) शेयरधारिता

(क) इस योजना के तहत प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाते की कुल धारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत या भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक सिरीज़ के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों/ उप लेखाओं की सामूहिक रूप से कुल धारिता प्रदत्त पूंजी या परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक सिरीज़ के प्रदत्त मूल्य के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 24 प्रतिशत की यह सीमा निदेशक बोर्ड द्वारा पारित किए गए संकल्प और बाद में आम सभा द्वारा पारित उसी आशय के विशेष संकल्प द्वारा संबंधित भारतीय कंपनी को यथा लागू सेक्टोरल कैप/ सांविधिक सीमा तक बढ़ाई जा सकती है।

(ग) किसी घरेलू परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी अथवा संविभाग प्रबंधक जो किसी उप-खाते के निधियों के प्रबंधन के लिए विदेशी संस्थागत निवेशक के रूप में सेबी के पास पंजीकृत हो, संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निम्नलिखित की ओर से निवेश कर सकता है ;

(i) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति जो विदेशी देश का नागरिक हो, अथवा

(ii) भारत के बाहर पंजीकृत निगमित निकाय

बशर्ते ऐसा निवेश उगाही अथवा वसूली गई अथवा सामान्य बैंकिंग माध्यम से बाहर से लाई गई निधियों से किया गया हो। ऐसी कंपनियों द्वारा किए गए निवेश कुल प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत अथवा किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रदत्त मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक न हो और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निर्धारित सकल सीमा से भी अधिक न हो।

(घ) विदेशी संस्थागत निवेशकों को बाज़ार के नकदी खंड में अपने लेनदेन करने के लिए नकदी के अलावा भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में संपार्श्विक (कोलेटरल) के रूप में एएए रेटिंगवाली विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों तथा घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों (चालू सीमा 5 बिलियन अमरीकी डालर होने के कारण सेबी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट समग्र सीमा के अधीन) का प्रस्ताव करने की अनुमती है। तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों की बाज़ार के नकदी तथा व्युत्पन्न(डेरिवेटिव) खंड के बीच प्रति-अंतर(क्रॉस मार्जिन) (विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बाज़ार में नकदी खंड में अपने लेनदेनों के लिए बनायी गई मार्जिन) की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन कार्पोरेशन तथा उनके समाशोधन सदस्यों को इस संबंध में सेबी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन निम्नलिखित लेनदेन करने की अनुमति दी जाती है।

i) विदेशी निक्षेपागार(डिपोजेटरी) के पास स्थित डिमेट खाते खोलने तथा बनाये रखने और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संपार्शिव के रूप में प्रस्तुत विदेशी सरकारी प्रतिभूतियाँ प्राप्त, धारित, गिरवी तथा अंतरित करने के लिए;

ii) इस प्रकार की विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों पर कार्पोरेट कार्रवाई, यदि कोई हो, से उत्पन्न आय के विप्रेषण के लिए; और

iii) आवश्यक होने पर इस प्रकार की विदेशी संस्थागत प्रतिभूतियों का परिसमापन करने के लिए।

समाशोधन कार्पोरेशन को उनके समाशोधन सदस्यों की गैर-नकदी संपार्श्विक राशि के रूप में उनके द्वारा धारित विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों की शेषराशि की सूचना मासिक आधार पर रिज़र्व बैंक [11] को देनी चाहिए। यह रिपोर्ट जिस महीने से संबंधित है उसके बाद वाले महीने की 10 तारीख तक प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

(ii) निवेशों पर निषेध

(क) विदेशी संस्थागत निवेशकों को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी ईक्विटी में निवेश करने के

लिए अनुमति नहीं है।

(ख) विदेशी संस्थागत निवेशकों को ऐसी किसी कंपनी में निवेश करने की भी अनुमति नहीं है जो निम्नलिखित कार्यकलापों में कार्यरत है अथवा कार्य करना चाहता है :

i) चिट फंड कारोबार, अथवा
ii) निधि कंपनी, अथवा
iii) कृषि अथवा बागबानी कार्यकलाप अथवा
iv) स्थावर-संपदा कार्यकलाप अथवा फार्म हाउस का निर्माण अथवा
v) अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) में कारोबार

उपर्युक्त "स्थावर संपदा कारोबार" में आवास/ वाणिज्यिक परिसर, शैक्षणिक संस्थाओं, मनोरंजन सुविधाओं, शहर तथा क्षेत्रीय स्तर की मूलभूत सुविधाओं , टाउनशिप का निर्माण शामिल नहीं है।

3. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा मंदड़िया बिक्री

सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-लेखों को भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की मंदड़िया बिक्री, उधार देने तथा उधार लेने की अनुमति है। भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की मंदड़िया बिक्री, उधार देना तथा उधार लेना उन शर्तों के अधीन है जो भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी / अन्य नियंत्रक एजेंसियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायें । उपर्युक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

(क) विदेशी संस्थागत निवेशकों को ईक्विटी शेयरों की मंदड़िया बिक्री, उधार देने तथा उधार लेने में सहभागिता मौजूदा विदेश प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुरूप होगी और विदेशी संस्थागत निवेशकों को उन ईक्विटी शेयरों की मंदड़िया बिक्री की अनुमति नहीं होगी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की रोक सूची/ सतर्कता सूची में होंगे।

(ख) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा ईक्विटी शेयर केवल मंदड़िया बिक्री के प्रयोजन से उधार लिए जायेंगे।

(ग) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा मार्जिन /संपार्श्विक केवल नकद रूप में रखी जायेगी। इस मार्जिन /संपार्श्विक पर विदेशी संस्थागत निवेशकों को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स संविदाएं

(i) सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित स्थिति सीमा और आवश्यक मार्जिन साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट संपार्श्विक प्रतिभूतियों के संबंध में शर्तों के अधीन भारत में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों में भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी द्वारा अनुमोदित सभी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स संविदाओं [12] में

व्यापार करने की अनुमति है। सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों/ उप-खाता उनके विशेष अनिवासी रुपया खाता के अंतर्गत पृथक खाता खोल सकते हैं जिसके माध्यम से एक्सचेंजों में ट्रेडेड डेरिवेटिव्स संविदाओं में व्यापार/ निवेश संबंधी सभी प्राप्तियां और भुगतान (आरंभिक मार्जिन और मार्क टू मार्केट निपटान, लेनदेन प्रभार, दलाली, आदि) किए जाएंगे। इसके अलावा, एक्सचेंज में ट्रेडेड डेरिवेटिव्स संविदाओं में व्यापार के प्रयोजन के लिए विशेष अनिवासी रुपया खाता और रखे गए उप-खाता में मुक्त रूप से लेनदेन किया जा सकता है। फिर भी, रुपया राशि का प्रत्यावर्तन संबंधित करों के भुगतान के अधीन उनके विशेष अनिवासी रुपया खाते के माध्यम से ही किए जाएंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक को उपर्युक्त पृथक खाते का उचित रिकार्ड रखना है और यथावश्यक उसे रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना है।

(ii) विदेशी संस्थागत निवेशक, डेरिवेटिव्स खंड में अपने लेनदेन के लिए नकदी के अतिरिक्त जमानत के रूप में भारत स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को अअअ(AAA) रेटिंगवाले विदेशी सर्वोत्तम राजकीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉरपोरेशन्स तथा उनके समाशोधन सदस्यों को इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन निम्नलिखित लेनदेनों की अनुमति है ।

(क) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संपार्श्विक रूप में प्रस्तुत की गई विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां अधिग्रहीत करने, रखने , गिरवी रखने तथा अंतरित करने और विदेशी निक्षेपागारों में डि-मैट खाते खोलने तथा उनका संचालन के लिए ।

(ख) यदि किन्हीं विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों पर कारपोरेट कार्य के कारण होने वाली आगम राशि बनती है तो उसे प्रेषित करना ।

(ग) यथा आवश्यक, ऐसी विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों का परिसमापन ।

(iii) समाशोधन (क्लियरिंग) कॉरपोरेशन को अपने समाशोधन सदस्यों की गैर-नकदी संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखी हुईं विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों के अधिशेष की रिपोर्ट जिस महीने से संबंधित है उसके बाद वाले महीने की 10 तारीख तक मासिक आधार भारतीय रिजर्व बैंक [13] को प्रस्तुत करनी होगी।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंकों के पास खाते

(i) विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाते निवेश के प्रयोजन से किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक में विदेशी मुद्रा खाता और/ अथवा विशेष अनिवासी रुपया खाता खोल सकते हैं।

(ii) विदेशी संस्थागत निवेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) विनियमावली, 1995 के अनुसार प्रतिभूतियों में वास्तविक निवेश करने के लिए विदेशी मुद्रा खाता से विशेष अनिवासी रुपया

खाते में रकम अंतरित कर सकते हैं।

(iii) यह राशि विदेशी मुद्रा खाते से रुपया खाते में प्रचलित बाज़ार दर पर अंतरित की जाये और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक प्रत्यावर्तनीय आय (कर के भुगतान के पश्चात) विशेष अनिवासी रुपया खाते से विदेशी मुद्रा खाते में अंतरित कर सकते हैं।

(iv) शेयरों/ डिबेंचरों, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, खजाना बिलों की बिक्री आय, आदि को विशेष अनिवासी रुपया खाते में जमा किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक संबंधित निवेशिती कंपनी/ विदेशी संस्थागत निवेशकों से यह पुष्टि प्राप्त करें कि लाभांश/ देय ब्याज की राशि/ अनुमोदित शेयरों से आय/ डिबेंचरों/ लागू दर पर सरकारी प्रतिभूतिधारकों की आय में से , जहां कहीं आवश्यक है, आयकर अधिनियम के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती की गई है।

(v) शेयरों/ डिबेंचरों/ दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, खज़ाना बिलों आदि की खरीद और आवेदक विदेशी संस्थागत निवेशकों के स्थानीय सनदी लेखाकार/ आयकर परामर्शदाता को फीस अदायगी, जहां ऐसी फीस उनके निवेश प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, को विशेष अनिवासी रुपया खाते के नामे डाला जाए।

6. विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास निजी नियोजन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को ऊपर निर्धारित सीमाओं अर्थात् अलग-अलग विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप-लेखा- 10 प्रतिशत और विदेशी संस्थागत निवेशक और उप-लेखा दोनों मिलाकर भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 24 प्रतिशत अथवा यथा लागू सेक्टोरेल सीमा के भीतर विदेशी संस्थागत निवेश यथा, पीआईएस/ निजी नियोजन/ प्रस्ताव के अधीन प्रस्ताव/ निजी नियोजन के माध्यम से किसी भारतीय कंपनी के शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर खरीदने की अनुमति है। भारतीय कंपनियों को ऐसे शेयर जारी करने की अनुमति है बशर्ते :

क) सार्वजनिक प्रस्ताव के मामले में, जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस पर निवासियों को शेयर जारी किया गया है ; और

ख) निजी नियोजन द्वारा जारी किए जाने के मामले में, मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस पर सेबी के दिशा-निर्देशों अथवा पूर्ववर्ती नियंत्रक, पूंजी निर्गम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, जो भी लागू हो, के अनुसार तय हुआ है।

7. विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों की रिपोर्टिंग

(i) विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय कंपनी के किसी विशेष निर्गम में , प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अथवा

पोर्टफोलियो (संविभाग) निवेश योजना के अंतर्गत निवेश कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी संस्थागत निवेशक, जो विशेष रुपया खाते में नामे द्वारा शेयर खरीदते हैं वे इनके ब्योरे अलग से एलईसी (एफआइआइ) फार्म में सूचित करें।

(ii) भारतीय कंपनी, जिसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना (जिसके लिए कंपनी के खाते में सीधे ही भुगतान प्राप्त किया गया है) और संविभाग निवेश योजना (जिसके लिए भुगतान, भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक के पास रखे गए विदेशी संस्थागत निवेशक खाते से प्राप्त किया गया है) के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों के शेयर जारी किये हैं वह इनके आँकड़े फॉर्म एफसी-जीपीआर की मद - 5 (संलग्नक - 8) (शेयर धारिता का निर्गमोत्तर पैटर्न) के अंतर्गत अलग से दें ताकि सांख्यिकीय/ निगरानी के प्रयोजन के लिए ब्योरों का उचित रूप से मिलान किया जा सके।

(iii) समग्र सीमा/ क्षेत्रीय सीमा (सेक्टोरल कॅप), सांविधिक उच्चतम सीमा की निगरानी के लिए अभिरक्षक (कस्टोडियन) बैंक को फ्लॉपी/ सॉफ्ट कॉपी में निर्धारित फार्मेट में सभी लेनदेनों (डेरिवेटिव ट्रेड को छोड़कर) के संबंध में एक दैनिक विवरण रिज़र्व बैंक [14] को सीधे प्रस्तुत करनी चाहिए।

8. अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

(i) अनिवासी भारतीयों को संविभाग निवेश योजना के तहत मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश की अनुमति है। अनिवासी भारतीय संविभाग निवेश योजना के मार्ग के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय और अप्रत्यावर्तनीय, दोनों के आधार पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के डिबेंचरों के प्रत्येक सिरीज़ की प्रदत्त पूंजी/प्रदत्त मूल्य के 5 प्रतिशत तक निवेश नामित प्राधिकृत व्यापारियों के जरिए कर सकते हैं। सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीदे गए शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों का समग्र प्रदत्त मूल्य, कंपनी की प्रदत्त पूंजी/ कंपनी के डिबेंचर की सिरीज़ के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। समग्र उच्चतम सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत किया जा सकता है यदि संबंधित भारतीय कंपनी की आम सभा (जनरल बॉडी) इस आशय का विशेष संकल्प पारित करे।

(ii) अनिवासी भारतीय निवेशकों को खरीदे गए शेयरों की सुपुर्दगी लेनी चाहिए और बेचे गए शेयरों की सुपुर्दगी देनी चाहिए। मंदड़िया बिक्री की अनुमति नहीं है।

(iii) प्रत्यावर्तन आधार पर खरीदे गए शेयर और/अथवा डिबेंचरों का भुगतान सामान्य बैंकिंग माध्यम के जरिए अथवा भारत में रखे गए एनआरई/एफसीएनआर खाते में रखी गई निधियों में से विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण द्वारा किया जाना चाहिए। यदि शेयर/डिबेंचर अप्रत्यावर्तन आधार पर खरीदे जाते हैं तो अनिवासी भारतीय उपर्युक्त के अलावा अपने एनआरओ खाते में रखी गई निधियों का उपयोग कर सकता है।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक की नामित शाखा का संपर्क कार्यालय, अपने द्वारा संविभाग निवेश

योजना के तहत किए गए लेनदेनों की दैनिक रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक [15] को प्रस्तुत करेगा, ऐसी रिपोर्ट ऑन लाइन या फ्लॉपी पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जा सकती है।

(v) संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश योजना के तहत स्टॉक एक्सचेंज पर अनिवासी भारतीय द्वारा खरीदे गए शेयरों का निजी व्यवस्था अथवा उपहार के जरिये (अनिवासी भारतीय निवेशक को कंपनी अधिनियम की धारा 6 में यथापरिभाषित अपने संबंधियों को अथवा देश के किसी कानून के तहत पंजीकृत धर्मार्थ न्यास को छोड़कर) भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना भारत में रहनेवाले या भारत के बाहर रहनेवाले व्यक्ति को बिक्री के द्वारा अंतरण नहीं किया जा सकता है।

(vi) अनिवासी भारतीयों को सेबी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित विदेशी मुद्रा व्यापार व्युत्पन्न संविदाओं में सेबी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन गैर-परिवर्तनीय आधार पर भारत में रुपया निधि में से निवेश कर सकने की अनुमति है।

9. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निवेश की स्थिति पर निगरानी

भारतीय रिज़र्व बैंक , अभिरक्षकों/ पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा दैनिक आधार पर फॉर्म एलईसी (एफआईआई) तथा एलईसी (एनआईआर) में सूचित किये गये सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के विदेशी संस्थागत निवेशकों / अनिवासी भारतीय निवेशकों के निवेश की स्थिति पर निगरानी रखता है।

10 सतर्कता सूची

इस योजना के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों / अनिवासी भारतीयों की कुल धारिता जब सेक्टोरल कॅप की सतर्कता बिंदु सीमा से 2 प्रतिशत नीचे पहुंचती है तो, भारतीय रिज़र्व बैंक चेतावनी देते हुए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों की सभी के नामित शाखाओं को एक सूचना जारी करेगा कि विशेष भारतीय कंपनी के शेयरों की खरीद के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की जरूरत होगी। सतर्कता सूची में शामिल शेयरों की खरीद हेतु विदेशी संस्थागत निवेशकों को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन मामला -दर- मामला आधार पर दिया जाएगा । यह पहले आए पहले पाए के आधार पर किया जाता है ।

11. रोक सूची

विदेशी संस्थागत निवेशकों / अनिवासी भारतीयों द्वारा शेयरधारिता की समग्र सीमा/ क्षेत्रीय सीमा/ सांविधिक सीमा प्राप्त कर लेने के बाद रिज़र्व बैंक, कंपनी को रोक सूची में डाल देता है । कंपनी को एकबार रोक सूची में डाल दिए जाने पर कोई भी विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा अनिवासी भारतीय ,संविभाग निवेश योजना के तहत कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता ।

12. समुद्रपारीय कंपनी निकायों द्वारा निवेश

भारत में संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत समुद्र पारीय कंपनी निकायों (ओसीबी) को 29 नवंबर 2001 से निवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, यदि ओसीबी ने पीआइएस के अंतर्गत पहले से निवेश किया है तो वह उन शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचरों को शेयर बाजार में बेचे जाने तक रख सकता है। भारत में निवेशक वर्ग के रूप में समुद्रपारीय निगमित निकायों की मान्यता 16 सितंबर 2003 से निरस्त कर दी गई है।

खंड III :विदेशी जोखिम पूंजी निवेश

विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों द्वारा निवेश

(i) फेमा विनियमों के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन से सेबी में पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेश (एफवीसीआइ) भारतीय जोखिम पूंजी उपक्रम (आइवीसीयू) या भारतीय उद्यम पूंजी निधि (आईवीसीएफ) या ऐसी भारतीय उद्यम पूंजी निधि (आईवीसीएफ) द्वारा शुरू की गई किसी योजना में निवेश कर सकता है बशर्ते वीसीएफ सेबी के पास पंजीकृत हो। सेबी में पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेश द्वारा ये निवेश विनियम तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र विशेह कॅप के अधीन होगा।

भारतीय जोखिम पूंजी उपक्रम (आइवीसीयू) को भारत में निगमित एक ऐसे कंपनी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट नकारात्मक सूची के तहत किसी कार्यकलाप में नहीं लगी हुई है। उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) को निगमित कंपनी सहित एक ट्रस्ट अथवा एक कंपनी के रूप में स्थापित एक निधि के रूप में परिभाषित किया जाता है,जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उद्यम पूंजी निधि) विनियमावली, 1996 के तहत पंजीकृत है, जिसके पास उपर्युक्त विनियमावली में विनिर्दिष्ट तरीके से उगाही गई पूंजी का एक समर्पित समूह है और जो उपर्युक्त विनियमावली के अनुसार जोखिम पूंजी उपक्रम में निवेश करता है।

(ii) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा वीसीएफ द्वारा स्थापित योजनाओं की यूनिटों/ निधियों में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से भारतीय जोखिम पूंजी उपक्रम अथवा उद्यम पूंजी निधि के ईक्विटी/ ईक्विटी संबद्ध लिखतों/ ऋणों/ ऋण लिखतों, डिबेंचरों की खरीद कर सकते हैं।
अनुमोदन देते समय रिज़र्व बैंक एफवीसीआइ को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की नामित शाखा में विदेशी मुद्रा खाता और/या रुपया खाता खोलने की अनुमति देता है।

(iii) शेयर, डिबेंचर और यूनिट की खरीद/ बिक्री की कीमत क्रेता और विक्रेता के बीच परस्पर स्वीकृति के आधार पर हो।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक कुल आवक प्रेषण की सीमा तक विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक को अग्रिम कवर (फारवर्ड कवर) का प्रस्ताव दे सकता है। यदि एफवीसीआइ ने कुछ निवेशों का परिसमापन कर कोई प्रेषण किया है तो निवेश के मूल लागत की कटौती पात्र कवर से की जानी चाहिए ताकि वास्तविक कवर पाया जा सके, जिसका प्रस्ताव किया जा सकता है।

खंड IV

अन्य विदेशी निवेश

1. **अनिवासियों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद**

(i) अप्रत्यावर्तनीय आधार पर

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद बिना किसी सीमा के की जा सकती है। ऐसी खरीद के लिए दी जाने वाली राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल से प्राप्त आवक विप्रेषणों से या प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास रखे एनआरई/ एफसीएनआर (बी)/ एनआरओ खाते में धारित निधियों में से चुकाई जाएगी।

(ख) अनिवासी भारतीय, बिना किसी सीमा के अप्रत्यावर्तनीय आधार पर दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, खजाना बिल, घरेलू म्युचुअल फंड की यूनिटों, मुद्रा बाजार , म्युचुअल फंड की यूनिटों की भी खरीद कर सकते हैं। भारत सरकार ने अधिसूचित किया है कि अनिवासी भारतीय को पीपीएफ सहित अल्प बचत योजनाओं में निवेश करने की अनुमति नहीं है। गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर किए गए निवेश के मामले में बिक्री आय एनआरओ खाते में जमा किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत निवेशित राशि और उस पर पूंजी अधिमूल्यन की राशि को विदेश में प्रत्यावर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) प्रत्यावर्तनीय आधार पर

अनिवासी भारतीय बिना किसी सीमा के प्रत्यावर्तनीय आधार पर सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों (वाहक प्रतिभूतियों को छोड़कर) अथवा खजाना बिल अथवा घरेलू म्युचुअल फंड के यूनिट ,भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी बांड और भारत सरकार द्वारा विनिवेशित किए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के शेयर खरीद सकता सकता है बशर्ते खरीद बोली मंगानेवाली सूचना में अनुबद्ध शर्तों के अनुरूप हो।

2. **भारतीय निक्षेपागार रसीद (आईडीआर)**

भारत में स्थित अनिवासी कंपनी द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीद कंपनी (निक्षेपागार रसीद जारी करना) नियमावली, 2004 तथा बाद में उसमें किये गये संशोधन और समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (डीआईपी) दिशा-निर्देश, 2000 की शर्तों के अधीन जारी की जा सकती है। यह भारतीय निक्षेपागार रसीदें भारत में घरेलू निक्षेपागार के जरिए भारत में निवासी साथ ही सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों को जारी की जा सकती है। भारत में अस्तीत्व वाली वित्तीय / बैंकिंग कंपनियों द्वारा या तो शाखा अथवा सहयोगी के जरिए भारतीय निक्षेपागार रसीदें जारी करते हुए यदि निधियाँ उगाही जाती है तो भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करने से पहले सेक्टोरल रेगुलेटर (क्षेत्रीय विनियामक) का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

क) फेमा विनियमावली, फेमा,1999 की धारा 2(v) के अधीन यथापरिभाषित भारत में निवासी व्यक्तियों पर भारतीय निक्षेपागार रसीद में निवेश तथा भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लेनदेन में से उत्पन्न अनुवर्ती अंतरण के लिए लागू नहीं होगी।

ख) सेबी द्वारा अनुमोदित विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-खाता सहित सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक तथा अनिवासी भारतीय, भारत के बाहर की निवासी पात्र कंपनियाँ समय-समय पर यथा संशोधित 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के अनुसार अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण तथा निर्गम) विनियमावली, 2000 के अधीन तथा भारतीय पूंजी बाजार में जारी की गई भारतीय निक्षेपागार रसीदों में निवेश, उसकी खरीद, उसका धारण तथा अंतरण कर सकती है। इसके अलावा अनिवासी भारतीयों को प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत बैंक के पास रखे गये अपने अनिवासी बाह्य/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते में धारित निधियों में से राशि का भारतीय निक्षेपागार रसीदों में निवेश करने की अनुमति है।

ग) भारतीत निक्षेपागार रसीदों की स्वत: परस्पर विनिमेय की अनुमति नहीं है।

घ) भारतीय निक्षेपागार रसीदों के निर्गम की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले पूर्वताप्राप्त ईक्विटी शेयरों में भारतीय निक्षेपागार रसीदें प्रतिदेय नहीं होनी चाहिए।

ड.) भारतीय निक्षेपागार रसीदों का पूर्वताप्राप्त शेयरों में प्रतिदान/ परिवर्तन करते समय भातीय निक्षेपागार रसीदों का भारतीय धारक (भारत में निवासी व्यक्ति) समय-समय पर यथा संशोधित 07 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 के अनुसार अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी भी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। तदनुसार, भारतीय निक्षेपागार रसीदों प्रतिदान के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:

i. सूचीबद्ध भारतीय कंपनियाँ समय-समय पर यथा संशोधित 07 जून 2004 की

अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6बी तथा 7 के अनुसार शर्तों के अधीन पूर्वताप्राप्त शेयर या तो बेच सकती हैं या उसे धारण करना जारी रख सकती हैं।

ii. सेबी में पंजीकृत भारतीय म्युच्युअल निधियों को समय-समय पर यथा संशोधित 07 जून 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6सी के अनुसार शर्तों के अधीन पूर्वताप्राप्त शेयर या तो बेचा जा सकता है या उसे धारण करना जारी रखा जा सकता है।

iii. फेमा के प्रावधान, विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों के सेबी द्वारा अनुमोदित उप खातों सहित विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदों का प्रतिदान हो जाने के बाद पूर्वताप्राप्त शेयरों की धारिता पर लागू नहीं होगे।

च) भारतीय निक्षेपागार रसीदों के निर्गमों की आय इस प्रकार की आईआरडी जारी करने वाली पात्र कंपनियों द्वारा भारत के बाहर अविलंब प्रत्यावर्तित की जाएगी। जारी की गई भारतीय निक्षेपागार रसीदें भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित होगी।

3. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद

विदेशी संस्थागत निवेशक, भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किये गये दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों / खजाना बिलों/ अप्रत्यावर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों और देशी म्युच्युअल फंडों की यूनिटों, ऐसे यूनिटों के जारीकर्ता से सीधे या भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्स्चेंज में पंजीकृत शेयर दलाल के माध्यम से प्रत्यावर्तन के आदार पर खरीद सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा ऋण लिखतों की खरीद सेबी द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित सीमाओं के अधीन है।

4. बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबीएस) द्वारा निवेश

बहुपक्षीय विकास बैंक, जिसे भारत सरकार ने भारत में रुपया बांड़ जारी करने के लिए विशेष रूप से अनुमति दी है, वह सरकारी दिनांकित प्रतिभूति खरीद सकता है।

5. भारत में बैंकों द्वारा जारी टीयर I और टीयर II लिखतों में विदेशी निवेश

(i) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों को भारत में बैंकों द्वारा जारी तथा भारतीय रुपए में मूल्यवर्गित बेमीयादी ऋण लिखतों (टीयर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने हेतु पात्र) और ऋण पूंजी लिखतों (उच्च टीयर II पूंजी के रूप में शामिल किए जाने हेतु पात्र) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अभिदान की अनुमति दी गई है।

क) बेमीयादी ऋण लिखतों (टीयर I) में सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के

49 प्रतिशत की सकल सीमा से अधिक और एकल विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम की 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

ख) बेमीयादी ऋण लिखतों (टीयर I) में सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 24 प्रतिशत की सकल सीमा से अधिक और एकल अनिवासी भारतीय द्वारा प्रत्येक निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

ग) रुपए में मूल्यवर्गित ऋण पूंजी लिखतों (टीयर II) में विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश कंपनी ऋण लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशक के निवेश के लिए सेबी द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर होना चाहिए।

घ) अन्य ऋण लिखतों में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश की वर्तमान नीति के अनुसार रुपए में मूल्यवर्गित ऋण पूंजी लिखतों (टीयर II) में अनिवासी भारतीय का निवेश होना चाहिए।

(ii) जारीकर्ता बैंको से जारी करने के समय यह अपेक्षित है कि वे ऊपर निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करें। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे समय-समय पर जारी बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का अनुपालन करें।

(iii) विदेशी संस्थागत निवेशक / अनिवासी भारतीय, बैंकों द्वारा टीयर I पूंजी के लिए अर्हता प्राप्त करनेवाले बेमीयादी ऋण लिखतों के रूप मे उगाही गई राशि के निर्गमवार ब्योरे निर्गम के 30 दिनों के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक [16] को निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करें।

(iv) भारतीय रुपए में उगाहे गए अपर टीयर II लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश , कारपोरेट ऋण लिखतों में निवेश के लिए सेबी द्वारा निर्धारित सीमा में होंगे। फिर भी, इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश 500 मिलियन अमरीकी डालर की एक पृथक सीमा के अधीन होगा।

(v) स्टॉक एक्सचेंज में इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों द्वारा सेकेंडरी मार्केट बिक्रियों/ खरीदों के ब्योरे क्रमशः कस्टोडियन और नामित बैंकों द्वारा एलईसी (एफआईआई) और एलईसी (एनआरआई) फार्म की सॉफ्ट कॉपी के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

भाग II

साझेदारी फर्म/ स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों में निवेश

1. साझेदारी फर्म/ स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों में निवेश

अनिवासी भारतीय [17] अथवा भारत से बाहर निवास करनेवाला भारतीय मूल का व्यक्ति [18] अंशदान क माध्यम से किसी फर्म के पूंजी अथवा भारत में स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों में अप्रत्यावर्तन आधार पर निवेश कर सकता है बशर्ते

i. राशि का निवेश आवक प्रेषण अथवा प्राधिकृत व्यापारी, प्राधिकृत बैंकों में अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी सामान्य खाते में से किया जाता है।

ii. फर्म अथवा स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान जो किसी कृषि/ बागान अथवा भूमि भवन कारोबार में लाभ कमाने अथवा उससे आय कमाने की दृष्टि से भूमि अथवा अचल संपत्ति में कारोबार करना) अथवा प्रिंट मीडिया क्षेत्र में लगी हुई नहीं है।

iii. निवेशित की गई राशि भारत से बाहर प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होगी।

2. प्रत्यावर्तन लाभ का निवेश

अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति प्रत्यावर्तन लाभ का एकल स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों/ साझेदारी फर्मों में निवेश करने हेतु रिज़र्व बैंक [19] से पूर्वानुमति प्राप्त करें। आवेदन पर निर्णय भारत सरकार के परामर्श से लिया जाएगा।

3. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूलय के व्यक्ति से इतर अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति से इतर भारत से बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति भारत में किसी फर्म अथवा किसी स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति के किसी संघ की पूंजी में अंशदान द्वारा निवेश करने के लिए रिज़र्व बैंक[20] से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। आवेदन पर निर्णय भारत सरकार के परामर्श से लिया जाएगा।

4. निषेध

अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल केव्यक्ति को किसी कृषि/ बागान कार्यकलाप अथवा भूमि भवन कारोबार (अर्थात् लाभ कमाना अथवा उससे आय कमाने की दृष्टि से भूमि अथवा अचल सम्पत्ति में कारोबार) अथवा प्रिंट मीडिया में लगी हुई फर्म अथवा स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों अथवा में निवेश करने की अनुमति नहीं है।

----

[20] प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय भवन, मुंबई 400001 को संबोधित।

लग्नक-1

(भाग-I, खंड-1, पैराग्राफ 2)

विदेशी निवेश के लिए क्षेत्र विशेष नीति

विदेशी निवेश के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों/ कार्यकलापों में अन्य यथानिर्दिष्ट शर्तों के अधीन नीचे उल्लिखित सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। निम्नलिखित क्षेत्रों/ कार्यकलापों में जिनका उल्लेख नहीं है, उन्हें स्वतःअनुमोदित मार्ग से नीचे उल्लिखित लागू क्षेत्रीय सेक्टोरल नियमों/ विनियमों शर्तों के अधीन 100% सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

क्रम सं.	क्षेत्र/कार्यकलाप	एफडीआई कैप/ ईक्विटी	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें
I.	**कृषि**			
1.	पुष्प-कृषि, बागवानी,बीज विकास, पशुपालन , मत्स्यपालन, जलीय जंतु पालन , नियंत्रित परिस्थितियों में सब्जियों और मशरूम उगाना तथा कृषि और उससे सम्बद्ध सेवाएं **<u>पाद टिप्पणी:</u> उपर्युक्त को छोड़कर अन्य कृषि क्षेत्र/ कार्यकलाप के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है।**	100%	स्वतःअनुमोदित मार्ग	--
2.	**बागानी समेत चाय क्षेत्र** <u>**पाद टिप्पणी:**</u> उपर्युक्त को छोड़कर बागानी के अन्य क्षेत्र/ कार्यकलाप के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है।	100%	एफआईपीबी	भारतीय साझेदार/ जनता के पक्ष में 5 वर्ष के भीतर ईक्विटी का 26 % विनिवेश और भविष्य में जमीन के उपयोग हेतु संबंधित राज्य सरकार की अनुमति के अधीन।
	उद्योग -			
	खनन			
3.	खनन इसके अंतर्गत हीरे जवाहरात और बेशकीमती पत्थर, सोना , चांदी और खनिजों की खोज और खनन आता है ।	100%	स्वतःअनुमोदित मार्ग	खान और खनिज(विकास और विनियमन) अधिनियम **1957 (www.mines.nic.in)** के अधीन।

4.	**कोयला और लिग्नाइट-खनन** पॉवर प्रोजेक्ट और आयरन तथा स्टील , सीमेंट उत्पादन द्वारा सीमित खपत के लिए और कोयला खनन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के तहत,अन्य अनुमत कामकाज के लिए	100%	स्वतःअनुमोदित मार्ग	कोयला खनन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम,1973 (www.coal.nic.in) के अधीन
5.	**खनन और खनिज** खनिज और अयस्क लगे टिटैनियम को और उसे उत्कृष्ट बनाने तथा पूर्ण करने के लिए जोड़ने संबंधी कार्यकलाप **पाद टिप्पणी:** **भारत सरकार , परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18 जनवरी 2006 को जारी अधिसूचना सं. एस.ओ.61(ई) में सूचीबद्ध पदार्थों के खनन के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है ।**	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	क्षेत्रीय विनियम और खनन तथा खनिज (विकास और विनियमन)अधिनियम,1957 तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन (i)तकनीकी अंतरण के साथ उत्कृष्टता संबंधी सुविधाएं भारत के भीतर लगायी गयी हैं । (ii) खनिजों की सफायी के दौरान निकलने वाले कूड़े-करकट का निपटान परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित विनियम जैसे कि परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमावली 2004, परमाणु ऊर्जा(रेडियो धर्मिता कूड़े का सुरक्षित निपटान) नियमावली 1987के अनुरूप किया जायेगा ।
	विनिर्माण			
6.	**एल्कोहल और डिस्टीलेशन तथा मद्य-निर्माण**	100%	स्वतः अनुमोदित	उपयुक्त प्राधिकरण से लाइसेस प्राप्त करके
7.	**कॉफी और रबड़ प्रसंस्करण तथा भंडारण**	100%	स्वतः अनुमोदित	--
8.	**प्रतिरक्षा उत्पादन**	26%	एफआईपीबी	उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 और आर्म्स एंड एम्युनिशंस उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में दिशा-निर्देशों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करके

9.	**खतरनाक रसायन** जैसे कि हाइड्रोसाइनिक एसिड और इसके व्युत्पन्न , फास्जीन और उसके व्युत्पन्न , आइसोसाइनेट और हाइड्रोकार्बन के डाई-आइसोसाइनेट	100%	स्वतः अनुमोदित	उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 और अन्य क्षेत्रीय विनियमों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करके
10.	**औद्योगिक विस्फोटक - विनिर्माण**	100%	स्वतः अनुमोदित	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 और विष्फोटक अधिनियम , 1898 के अधीन निर्मित विनियमों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करके
11.	**दवाइयां और औषधियां (फार्मास्युटिकल्स) जिनमें डीएनए टेक्नोलॉजी के पुर्नसंयोजन में प्रयुक्त होती हैं।**	100%	स्वतः अनुमोदित	-------
12.	**पॉवर**			
	इसमें विद्युत उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) , प्रसारण, वितरण और विद्युत व्यापार शामिल हैं ।	100%	स्वतः अनुमोदित	विद्युत अधिनियम , 2003 (www.powermin.nic.in) प्रावधानों के अधीन
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति जनरेशन, ट्रान्समिशन और इलेक्ट्रिसिटी से उत्पादित एटोमिक पॉवर के संवितरण/ प्लांट/ एटोमिक एनर्जी के लिए नहीं है क्यों कि इस क्षेत्र में निजी निवेश / कार्यकलाप निषिद्ध है और इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है।				
	सेवाएं			
	नागरिक विमानन क्षेत्र			
13.	**हवाई अड्डे**			
क.	ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट	100%	स्वतःअनुमोदित मार्ग	नागरिक उड्डयन मंत्रालय (www.civilaviation.nic.in) द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के अधीन
ख.	वर्तमान प्रोजेक्ट	100%	74% से अधिक के लिए एफआईपी	नागरिक उड्डयन मंत्रालय (www.civilaviation.nic.in) द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के अधीन

			बी	
14.	**वायु परिवहन सेवाओं में स्व-देशी , अनुसूचित यात्री एयरलाइंस, गैर-अनुसूचित स्व-देशी यात्री एयरलाइंस, चार्टर्ड एयरलाइंस, कारगो एयरलाइंस, हेलिकॉप्टर तथा सीप्लेन सर्विसेज**			
क.	**अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं / स्वदेशी अनुसूचित यात्री एयरलाइंस**	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए -49% अनिवासी भारतीयों के लिए 100%	स्वतः अनुमोदित	विदेशी एयरलाइंस और क्षेत्रीय विनियमों के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागिता की अनुमति नहीं है। (www.civilaviation.nic.in)
ख.	**गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं / गैर-अनुसूचित एयरलाइंस, चार्टर्ड एयरलाइंस और कारगो एयरलाइंस,**	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए -74% अनिवासी भारतीयों के लिए 100%	स्वतः अनुमोदित	विदेशी एयरलाइंस द्वारा गैर-अनुसूचित और चार्टर्ड एयरलाइन्स में किसी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागिता की अनुमति नहीं है। कारगो एयरलाइंस संचालित करने वाली कंपनी के ईक्विटी में सहभागिता की अनुमति है । क्षेत्रीय विनियम भी लागू हैं। (www.civilaviation.nic.in)
ग.	**डीजीसीए की का अनुमोदन अपेक्षित हेलीकॉप्टर सर्विसेज / सीप्लेन सर्विसेज**	100%	स्वतः अनुमोदित	हेलीकॉप्टर सर्विसेज / सीप्लेन सर्विसेज संचालित करने वाली विदेशी एयरलाइंस को कंपनियों में सहभागिता की अनुमति है । क्षेत्रीय विनियम भी लागू हैं ।
15.	**नागरिक विमानन क्षेत्र की अन्य सेवाएं**			
क.	**ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज**	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए -74% अनिवासी भारतीयों के निवेश के लिए 100%	स्वतः अनुमोदित	क्षेत्रीय विनियमों और सुरक्षा निकासी के अधीन हैं ।

ख.	**रखरखाव और मरम्मत संगठन ; संस्थागत उड्डयन प्रशिक्षण संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं**	100%	स्वतः अनुमोदित	--
16.	**परिसंपत्ति पुर्नसंरचना कंपनियां**	49% (केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेशको के लिए)	एफआईपीबी	जहाँ किसी व्यक्ति का निवेश ईक्विटी के 10% से बढ़ जाता है तो वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 प्रवर्तन की धारा 3(3) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाये ।
17.	**बैंकिंग- निजी क्षेत्र**	74% (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश) इस सीमा के अंदर विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश 49% से अधिक नहीं हो।	स्वतः अनुमोदित	विदेशी बैंकों की शाखाएं/ उनकी सहायक संस्थाएं स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (www.rbi.org.in) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन
18.	**प्रसारण**			
क.	एफएम रेडियो	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश - 20% तक निवेश	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अधीन
ख.	केबल नेटवर्क	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश -49%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित केबल टेलिविजन नेटवर्क नियमावली (1994) के अधीन
ग.	डाइरेक्ट -टु -होम	49% - (प्रत्यक्ष	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय

		विदेशी निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश) इस सीमा के अंदर संस्थागत निवेशकों के निवेश का हिस्सा 20% से अधिक नहीं ।		(www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अधीन
घ.	धातु सामग्री सुविधाएं जैसे कि अप-लिकिंग, हब आदि स्थापित करना ।	49% - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश।	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित अप-लिकिंग पॉलिसी के अनुसार
ङ.	समाचार और सामयिक विषयों ,टीवी. चैनेल्स की अप-लिकिंग	26% - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश।	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अधीन
च.	गैर -समाचार और सामयिक विषयों ,टीवी. चैनेल्स की अप-लिकिंग	100%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अधीन
19.	**पण्य विनिमय**	49% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-26% विदेशी संस्थागत निवेश-23%	एफआईपीबी	संबंधित विनियामकों के द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक केवल सेकेंडरी मार्केट में खरीद द्वारा ही निवेश कर सकते हैं ।
20.	**टाउनशीप, आवास, मूलभूत तत्वों का निर्माण का विकास तथा विनिर्माण**	100%	स्वतः अनुमोदित	निम्नलिखित को शामिल करते हुए भारत सरकार की समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के पैरा 5.23 के अनुसार शर्तों के

	विकास परियोजनाएं- (इसमें आवास, व्यावसायिक परिसर, रिसार्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं परंतु इन तक ही सीमित नहीं हैं।। **पाद टिप्पणी : स्थावर संपदा के क्षेत्र में विदेशी संस्थागत निवेश की अनुमति नहीं है ।**			अधीन क. पूर्ण स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं के मामले में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर और संयुक्त उद्यमों के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर। कंपनी का कारोबार शुरू होने के छह महीनों के भीतर निधियाँ जुटाई जानी चाहिए। ख. प्रत्येक परियोजना के अधीन विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र सर्विस्ड़ हाउसिंग प्लाट के विकास के मामले में - 10 हेक्टेयर ; और विनिर्माण - विकास परियोजना के मामले में - 50,000 वर्ग मीटर और यदि संयुक्त परियोजना हो तो दोनों में से कोई एक। ग. न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने से तीन वर्षों की अवधि से पहले मूल निवेश प्रत्यावर्तित नहीं हो सकता। तथापि, एफआईबीपी के जरिए सरकार के पूर्व अनुमोदन से पहलेवाले निवेश का निर्गम करने की अनुमति निवेशक को दी जाए। घ. सभी सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के भीतर परियोजना का काम-से-कम 50 % विकसित किया जाना चाहिए। निवेशक/ निवेशिती

				कंपनी को अविकसित प्लॉट बेचने की अनुमति नहीं होगी। इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए " अविकसित प्लॉट " का अर्थ यह है कि जहाँ निर्धारित विनियमों के अधीन रास्ते, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाईटिंग, ड्रेनेज, सिवरेज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई हैं। यह आवश्यक होगा कि निवेशक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराता है और निवेशक को सेवा आवासीय प्लॉट का निपटान करने की अनुमति दिये जाने से पहले स्थानीय निकाय / सेवा एजेंसी से समापन प्रमाणपत्र प्राप्त करता है। **[टिप्पणी 1: अनिवासी भारतीय निवेशकों के लिए प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) मे उल्लिखित शर्तें लागू नहीं हैं।** **टिप्पणी 2:** विशेष आर्थिक क्षेत्र , होटेल और अस्पताल में निवेश के लिए **प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) मे उल्लिखित शर्तें लागू नहीं हैं।]**
21.	पैकेज, पार्सेल्स और अन्य वस्तुएं जो कि भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के दायरे में नहीं आती है के लिए **कुरियर सेवाएं**	100%	एफआईपीबी	वर्तमान कानून और पत्रों के वितरण संबंधी उन कार्य कलापों को छोड़कर जो कि विशेष रूप से राज्य सरकार के लिए सुरक्षित हैं ।(www.indiapost.gov.in)
	प्रतिभूति बाजार में वित्तीय मूलभूत जरुरतें			

22.	**प्रतिभूति बाजारों में संरचनात्मक कंपनियां** यथा, स्टॉक एक्स्चेंज, निक्षेपागार और समाशोधन निगम	(विदेशी प्रत्यक्ष निवेश+विदेशी संस्थागत निवेश) -49% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-26% विदेशी संस्थागत निवेश- 23%	एफआईपीबी	विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदें सेकेंडरी मार्केट तक ही सीमित रहेंगी । संबंधित विनियामकों के द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत
23.	**क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनियां (सीआईसी)**	(विदेशी प्रत्यक्ष निवेश+विदेशी संस्थागत निवेश)-49% इस सीमा के अंदर संस्थागत निवेशकों का निवेश 24% से अधिक न हो ।	एफआईपीबी	क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेश क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनीज (विनियमावली) ऐक्ट 2005 के अधीन। संबंधित विनियामकों के द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत।
24.	**औद्योगिक पार्क बनाने तथा बने पार्क दोनों के लिए**	100%	स्वतः अनुमोदित	विनिर्माण विकास परियोजनाओं के लिए लागू भारत सरकार की समेकित एफडीआई नीति के पैरा 5.23 में जो शर्ते हैं वे औद्योगिक पार्कों पर लागू नहीं होगी बशर्ते औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों । i यह कम से कम 10 यूनिट का और एक एकल यूनिट आबंटनीय क्षेत्रफल के 50% से अधिक क्षेत्र में फैला हो। ii औद्योगिक कार्यकलापों के लिए आबंटित किया जाने वाला

				क्षेत्र कुल आबंटित क्षेत्रफल का कम से कम 660% हो ।
25.	**बीमा**	26%	स्वतः अनुमोदित	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (www.irda.nic.in) (आईआरडीए) से लाइसेंस के अधीन ।
26.	**बुनियादी / सेवा क्षेत्र (दूर संचार क्षेत्र को छोड़कर) में निवेश**	100%	एफआईपीबी	जहाँ पर .विदेशी निवेश की सेक्टोरल लिमिट निर्धारित है , निर्धारित कैप के लिए केवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विचार का जा सकता है और विदेशी निवेश करने वाली किसी कंपनी में विदेशी निवेश इस कैप से अलग नहीं की जा सकती है बशर्ते कि ऐसी निवेश करने वाली ऐसी कंपनी का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49% से अधिक न हो और निवेश करने वाली ऐसी कंपनी का प्रबंध भारतीय स्वामियों के पास हो ।
27.	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां**			
i)	**मर्चेंट बैंकिंग**	100%	स्वतः अनुमोदित	**क.** निधि आधारित एनबीएफसी के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष निवेश के लिए 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपप्र ‍ं€ट लाया जाए। यदि प्रत्यक्ष निवेश 51 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत तक हो, तो 5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपप्र ‍ं€ट लाया जाए । यदि प्रत्यक्ष निवेश 75 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक हो तो 50 मिलियन अमरीकी डॉलर, जिसमें 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट
ii)	**अइटरराइटिंग**			
iii)	**संविभाग प्रबंध सेवा**			
iv)	**निवेश परामर्श सेवा**			
v)	**वित्तीय परामर्श सेवा**			
vi)	**स्टॉक-ब्रोकिंग**			

vii)	**परिसंपत्ति प्रबंध**			लाया जाए और शेष 24 महीनों में।
viii)	**जोखिम पूंजी**			**ख.** गैर-निधि आधारित एनबीएफसी कार्यकलापों के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड-0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर। बशर्ते,
ix)	**अभिरक्षण सेवा**			ऐसी कंपनी को किसी भी कार्यकलाप के लिए कोई
x)	**फैक्टरिंग**			अनुषंगी संस्था स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी और ना ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
xi)	**क्रेडिट निर्धारक एजेंसियां**			धारितवाली/ ऑपरेटिंग कंपनी के ईक्विटी में सहभाग करेगी। **गैर- निधि आधारित**
xii)	**लीजिंग तथा वित्त**			**कार्यकलापों** में निवेश सलाहाकार सेवाएं, वित्तीय परामर्श, ब्रोकिंग, मुद्रा परिवर्तन
xiii)	**आवसीय वित्त**			व्यवसाय तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ शामिल हैं।
xiv)	**फॉरेक्स ब्रोकिंग**			ग. विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों के अपने ईक्विटी के कम से कम 25% तक विनिवेश के
xv)	*** क्रेडिट कार्ड कारोबार**			अलावा 100% तक परिचालनात्मक कंपनियां स्थापित कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसी कंपनियां परिचालनात्मक
xvi)	**मुद्रा परिवर्तक कारोबार**			कंपनियों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर लाने के अधीन ,
xvii)	**माइक्रो क्रेडिट**			अतिरिक्त पूंजी लाए बिना परिचालनात्मक कंपनियों की संख्या के प्रतिबंध को छोड़कर
xviii)	**ग्रामीण ऋण**			घ) एनबीएफसी परिचालन के संयुक्त उद्यम जिनके 75 प्रतिशत

				अथवा 75 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश है उन्हें भी अन्य एनबीएफसी कार्यकलापों के लिए कंपनियां स्थापित करने की भी अनुमति होगी बशर्ते कि कंपनियां भी न्यूनतम पूँजी अंतर्वाह की शर्तों का अनुपालन करें। ङ. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुपालन के अधीन ।
* क्रेडिट कार्ड कारोबार में विविध भुगतान उत्पादों जैसे क्रेडिट कार्ड, स्टोअर वैल्यू कार्ड, स्मार्ट कार्ड, वैल्यू एडेड कार्ड आदि जारी , बिक्री, मार्केटिंग तथा डिजाइन करना शामिल हैं।				
28.	**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र**			
क.	रिफायनिंग	49% तक सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के मामले में 100% तक निजी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में	एफआईपीबी (सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के मामले में) स्वत: अनुमोदित मार्ग –(निजी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में)	तेल बाजार सेक्टर में मौजूदा सेक्टोरल नीति और बिना विनिवेश अथवा सरकारी क्षेत्र की मौजूदा आंतरिक इक्विटी डाल्यूशन के बिना । (www.petroeum.nic.in)
ख.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में मार्केटिंग के लिए उनमें निवेश/ वित्त पोषण, बुनियादी सुविधाएं लगाने सहित रिफायनिंग और मार्केट स्टडी के अतिरिक्त	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी सेक्टोरल विनियम के अधीन । (www.petroeum.nic.in)
29.	**प्रिंट मीडिया**			
क.	समाचार और सामयिक विषयों पर **समाचारपत्र और आवधिक** प्रकाशित करने वाली कंपनिया	26%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार ।
ख.	**वैज्ञानिक पत्रिकाएं / विशेष**	100%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय

	विषय पर जर्नल /आवधिक प्रकाशित करने वाली कंपनिया			(www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार ।
30.	**दूरसंचार**			
क.	बेसिक और सेलूलर , यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज/ लंबी दूरी वाले इंटरनेशनल वी- सेट , पब्लिक मोबाइल रेडियो टंक्ड सर्विसेज (पीएमआरटीएस) , ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन में सर्विसेज और अन्य उत्कृष्ट दूरसंचार सर्विसेज	74%(प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, भारतीय अनिवासी निवेश,एफसी सीबीएस , एडीआरएस , जीडीआर , परिवर्तनीय अधिमान शेयर और भारतीय प्रवर्तकों/ विनिवेशक कंपनियों में पोर्टफोलियो विदेशी ईक्विटी को शामिल करते हुए)	49% - तक स्वत: अनुमोदित मार्ग से 49% से अधिक एफआइपीबी द्वारा	भारत सरकार की समेकित एफडीआई नीति के पैरा 5.38 के अनुसार दिशा-निर्देशों के अधीन ।
ख.	क) आईएसपी के साथ गेटवे, रेडिओ पेजिंग और लंबाई में अथवा सिरे से सिरे तक बैंड चौड़ाई में	74%	49% तक स्वत: अनुमोदित मार्ग से 49% से अधिक एफआइपीबी द्वारा	यह सेवाएं दूरसंचार विभाग (www.dotindia.com) द्वारा अधिसूचित लाइसेसिंग और सुरक्षा अपेक्षाओं के अधीन
ग.	(क) गेटवे के बिना	100%	49% तक स्वत:	यदि ये कंपनियां दुनिया के

	आईएसपी (ख) डार्क फाइबर उपलब्ध करानेवाले इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स , डक्ट, खुला स्थान और टॉवर की दाहिनी ओर (आईपी श्रेणी -I) (ग) इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉइस मेल		अनुमोदित मार्ग से 49% से अधिक एफआईपीबी द्वारा	अन्य देशों में भी सूचीबद्ध हैं तो वे 5 वर्ष में अपने ईक्विटी के 26 % तक भारतीय जनता के पक्ष में निवेश करेंगी । यह सेवाएं लाइसेंसिंग और सुरक्षा अपेक्षाओं के भी अधीन । (www.dotindia.com)
घ.	दूरसंचार उपकरणों का निर्माण	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग से	सेक्टोरल अपेक्षाओं के अधीन। (www.dotindia.com)
31.	**व्यापार**			
क.	थोक/ कैश तथा कैरी व्यापार	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग से	
ख.	निर्यात के लिए ट्रेडिंग	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग से	--
ग.	उन वस्तुओं की टेस्ट-मार्केटिंग जिनके उत्पादन के लिए कंपनी ने अनुमोदन प्राप्त किया है।	100%	एफआईपीबी द्वारा	ऐसी वस्तुओं की टेस्ट मार्केटिंग जिसके लिए कंपनी को उत्पाद की अनुमति है बशर्ते कि ऐसी टेस्ट मार्केट सुविधा दो साल के अवधि की हो और उत्पादन सुविधाओं में निवेश का प्रारंभ टेस्ट मार्केटिंग के साथ किया हो
घ.	सिंगल ब्रांड उत्पादन का खुदरा व्यापार	51%	एफआईपीबी द्वारा	भारत सरकार की समेकित एफडीआई नीति के पैरा 5.39 के अधीन
32.	**सेटलाइट:** स्थापना और परिचालन	74%	एफआईपीबी द्वारा	अंतरिक्ष/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (www.iso.org) द्वारा जारी सेक्टोरल दिशा-निर्देशों के अधीन।
33.	**विशेष आर्थिक क्षेत्र और मुक्त**	100%	स्वत:	विशेष आर्थिक क्षेत्र

	व्यापार भंडारण, इन क्षेत्रों को स्थापित करना और इनमें इकाइयां खोलना		अनुमोदित मार्ग से	अधिनियम 2005 और विदेश व्यापार नीति के अधीन। (www.sezindia.nic.in)
34.	जोखिम पूंजी निधि तथा जोखिम पूंजी उपक्रम	--	स्वतः अनुमोदित	सेबी में पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों को सेबी विनियमावली तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में क्षेत्र विशेष उच्चतम सीमा के अधीन स्वतः अनुमोदित मार्ग के जरिए घरेलु जोखिम पूंजी उपक्रमों में निवेश करने की अनुमति है।

पाद-टिप्पणी : उपर्युक्त सभी क्षेत्र / कार्यकलाप भारत सरकार द्वारा समय -समय पर जारी संबंधित प्रेस नोटों द्वारा नियंत्रित हैं ।

संलग्नक -2

(भाग-I,खंड-I, पैरा-3)

(अ) **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सभी कार्यकलापों/ क्षेत्रों में निम्नलिखित परिस्थितियों में भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है :**

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित (निषिद्ध) क्षेत्र

(आ)

I. खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड उत्पाद का खुदरा छोड़कर)

II. परमाणु ऊर्जा

III. सरकारी / निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी आदि सहित लॉटरी कारोबार

IV. कैसिनो सहित जुआ और सट्टेबाजी

V. चिटफंड का कारोबार

VI. निधि कंपनी

VII. परिवर्तनीय विकास स्वत्वाधिकारों (टीडीआरएस)के अंतरण का कार्य

VIII. वे कार्यकलाप/ क्षेत्र जिनके लिए निजी क्षेत्र निवेश उपलब्ध नहीं है

IX. कृषि, (नियंत्रित परिस्थितियों और सेवाओं के अधीन पुष्पखेती, बागबानी, बीजों का विकास, पशुपालन, मछली पालन और कृषिकीय तथा उससे संबंधित क्षेत्रों में सब्जी, मश्रूम आदि की खेती को छोड़कर) और बाग़ान (चाय बाग़ान को छोड़कर)

X. स्थावर संपदा कारोबार अथवा फॉर्म हाउसों का निर्माण

XI तंबाकु अथवा तंबाकु की एवजी वस्तु के सिगार, चिरूट, सिगरोल तथा सिगरेट का विनिर्माण

टिप्पणी:

1. किसी भी प्रकार के विदेशी निवेश के अलावा फ्रेंचाइजिस. ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम, प्रबंध संविदा के लिए लाइसेंसिंग सहित किसी भी रूप में विदेशी प्रौद्योगिकी का सहयोग लॉटरी कारोबार तथा जुआ और सट्टेबाजी कार्यकलापों के लिए भी पूर्णत: निषिद्ध है।

2. सेबी में पंजीकृत घरेलु वीसीएफ में एफवीसीआई द्वारा निवेश को छोड़कर ट्रस्टों(न्यासों) में विदेशी निवेश की अनुमति नहिं है।

संलग्नक-3
(भाग-1, खंड-1, पैरा 21)

भारत में निवासी व्यक्ति से भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति से भारत में निवासी व्यक्ति को बिक्री द्वारा शेयर / परिवर्तनीय डिबेंचर अंतरण की शर्त

1.1 सभी क्षेत्रों में किसी भारतीय कंपनियों के शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में बिक्री के द्वारा अंतरण से संबंधित मूल्यांकन प्रलेखीकरण भुगतान/ प्राप्ति और प्रेषण संबंधी चिन्ताओं पर ध्यान देने के लिए लेनदेन में शामिल पार्टियां निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगी।

1.2 **लेनदेन में शामिल पार्टियां** : अपनी बही में स्वामित्व के अंतरण के रिकार्डिंग के लिए लेनदेन में शामिल पार्टियां (क) विक्रेता (निवासी/ अनिवासी), (ख) क्रेता (निवासी/ अनिवासी) (ग) विक्रेता और/ अथवा क्रेता का विधिवत प्राधिकृत एजेंट, (घ) प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा और (ङ) भारतीय कंपनी हैं।

2. **मूल्य निर्धारण -दिशा-निर्देश**[21]

2.1 निम्नलिखित मूल्य निर्धारण के दिशा-निर्देशों निम्न प्रकार के लेनदेनों पर लागू हैः

(i) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा निजी व्यवस्था के तहत बिक्री के माध्यम से शेयरों का अंतरण,

(ii) भारत में निवासी व्यक्ति को भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निजी व्यवस्था के तहत बिक्री के माध्यम से शेयरों का अंतरण

2.2 **निवासी द्वारा अनिवासी को अंतरण** (अर्थात् पूर्ववर्ती समुद्रपारीय कंपनी निकायों, विदेशी नागरिक (राष्ट्रीक), अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों से इतर निगमित अनिवासी कंपनियों को)।

निवासी द्वारा अनिवासी को बिक्री के माध्यम से अंतरित शेयरों का मूल्य जहाँ भारतीय कंपनी के शेयर-

(क) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, यथालागू सेबी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जिस मूल्य पर शेयरों का अधिमान आबंटन किया जाता है उससे कम न हो बशर्त, पूर्ववर्ती शेयरों की तारीख, जो खरीद ता बिक्री की तारीख हो, जिसमें निर्दिष्ट किये अनुसार उस अवधि के लिए निर्धारित हो।

(ख) भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, बट्टागत मुक्त नकद प्रवाह के अनुसार सेबी में पंजीकृत वाणिज्यिक बैंकर श्रेणी-I अथवा सनदी लेखाकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले उचित मूल्य से कम न हो।

इस प्रकार परिकलित प्रति शेयर मूल्य को सेबी में पंजीकृत वाणिज्यिक बैंकर श्रेणी-I अथवा सनदी लेखाकार प्रमाणित किया जाए।

---
[21] दिनांक 04 मई 2010 का एपी(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं 49

2.3 अनिवासी द्वारा निवासी को अंतरण (अर्थात् निगमित अनिवासी कंपनियों, पूर्ववर्ती समुद्रपारीय कंपनी निकायों, विदेशी नागरिकों (राष्ट्रीकों), अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा **निवासी को**)

अनिवासी द्वारा निवासी को शेयरों की बिक्री 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के विनियम 10आ(2) के अनुसार की जाए। यह बिक्री उस न्यूनतम कीमत से अधिक नहिं होगी जिस पर उक्त पैरा 2.2 में दिये अनुसार निवासी से अनिवासी को शेयरों का अंतरण किया जा सकता है।

3. पार्टियों का दायित्व / बाध्यता

लेनदेन में शामिल सभी पार्टियों का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि फेमा के तहत संबंधित विनियमों का अनुपालन किया जाता है तथा शेयरों के अंतरण के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा यथानिर्धारित संबंधित अलग-अलग सीमाओं/ क्षेत्रीय सीमाओं/ विदेशी ईक्विटी सहभागिता सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। लेनदेनों का निपटान लागू करों, यदि कोई है, के भुगतान के बाद किया जायेगा ।

4. भुगतान और प्रेषण/ बिक्री आय को जमा करने की प्रणाली

4.1 भारत से बाहर के निवासी द्वारा शेयरों की खरीद से प्राप्त बिक्री आय को सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत भेजा जाएगा। क्रेता के विदेशी संस्थागत निवेशक होने की स्थिति में भुगतान इसके विशेष अनिवासी रुपया खाते में नामे डालकर किया जाएगा। यदि क्रेता अनिवासी भारतीय है तो, भुगतान उसके अनिवासी विदेशी खाता/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता में नामे डालकर किया जाए। फिर भी, अनिवासी भारतीय द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अधिगृहीत शेयरों के मामले में आय को सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत भेजा जाएगा अथवा अनिवासी विदेशी खाता/ विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक)/ अनिवासी रुपया खाते की निधियों से चुकाया जाएगा।

4.2 भारत से बाहर के निवासी द्वारा बेचे गए शेयरों की बिक्री आय (करों का निवल) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जाए। यदि विदेशी संस्थागत निदेशक है तो बिक्री आय को इसके विशेष अनिवासी रुपया खाता में जमा किया जाए। अनिवासी भारतीय के मामले में, यदि बेचे गए शेयरों को प्रत्यावर्तन आधार पर रखा गया था, तो बिक्री आय (करों का निवल) को अनिवासी विदेशी खाता/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातों में जमा किया जाए तथा यदि बेचे गए शेयर अप्रत्यावर्तनीय आधार पर रखे गए थे, तो बिक्री आय कर का भुगतान करके इसे अनिवासी सामान्य (चालू) खाते में जमा की जाए।

4.3 विदेशी कंपनी निकायों द्वारा बेचे गए शेयरों की बिक्री आय (करों का निवल) को सीधे भारत से बाहर भेजा जा सकता है यदि शेयरों को प्रत्यावर्तन आधार पर रखा गया था और यदि रिज़र्व बैंक द्वारा

ओसीबी के खाते को रोक दिया गया है, तो इसे छोड़कर, यदि बेचे गए शेयर अप्रत्यावर्तनीय आधार पर रखे गए थे तो बिक्री आय कर का भुगतान करके इसे अनिवासी सामान्य (चालू) खाते में जमा की जाए।

5. प्रलेखीकरण

संलग्न फार्म एफसी-टीआरएस (तीन प्रतियों में) में घोषणा प्राप्त करने के अलावा, प्राधिकृत व्यापारी शाखा निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने और उसका रिकार्ड रखने की व्यवस्था करें :

5.1 भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा शेयरों की बिक्री

(i) अंतरण के ब्योरे अर्थात् अंतरण किए जानेवाले शेयरों की संख्या, निवेशिती कंपनी का नाम, जिसके शेयर अंतरित किए जा रहे हैं तथा मूल्य, जिस पर शेयर अंतरित किए जा रहे हैं को दर्शाते हुए विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति पत्र। औपचारिक क्रय करार न होने की स्थिति में, इस आशय के अदलाबदली किए गए पत्र को रिकार्ड में रखा जाए।

(ii) उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंटों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र के होने की स्थिति में एजेंट को शेयरों की खरीद/ बिक्री के लिए विक्रेता/ क्रेता को प्राधिकृत करने के लिए निष्पादित किया गया पावर ऑफ एटर्नी दस्तावेज।

(iii) श्रेणीवार निवासी और अनिवासी (अर्थात् अनिवासी भारतीय/ विदेशी कंपनी निकाय/ विदेशी नागरिक (राष्ट्रीक)/ निगमित अनिवासी कंपनियां/ विदेशी संस्थागत निवेशक) की ईक्विटी सहभागिता और विक्रेता/ क्रेता अथवा कंपनी जहां सेक्टोरियल कैप/ सीमा निर्धारित की गई है, द्वारा उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा प्रदत्त पूंजी के प्रतिशत को दर्शाते हुए भारत के बाहर के किसी निवासी द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशिती कंपनी की शेयर धारिता का स्वरूप।

(iv) सनदी लेखाकार से प्राप्त शेयरों के उचित मूल्य को दर्शानेवाला प्रमाणपत्र।

(v) यदि बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में की गई है तो ब्रोकर के नोट की प्रति।

(vi) क्रेता से इस आशय का वचनपत्र कि विदेशी ारपत्यक्ष निवेश नीति के तहत शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर अधिग्रहण के लिए वह पात्र है तथा वर्तमान क्षेत्रीय सीमा और मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(vii) संस्थागत निवेशक/ उप लेखा से इस आशय का वचनपत्र कि सेबी द्वारा यथा निर्धारित अलग-अलग विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप लेखा सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।

5.2 भारत से बाहर के किसी निवासी द्वारा शेयरों की बिक्री के लिए

i. अंतरण के ब्योरे अर्थात् अंतरण किए जानेवाले शेयरों की संख्या, निवेशिती कंपनी का नाम, जिसके शेयर अंतरित किए जा रहे हैं तथा मूल्य, जिस पर शेयर अंतरित किए जा रहे हैं को दर्शाते हुए विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

ii. उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंटों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र के होने की स्थिति में एजेंट को शेयरों की खरीद/ बिक्री के लिए विक्रेता/ क्रेता को प्राधिकृत करने के लिए निष्पादित किया गया पावर ऑफ एटर्नी दस्तावेज।

iii. यदि विक्रेता अनिवासी भारतीय/ विदेश कंपनी निकाय हैं तो प्रत्यावर्तनीय/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर उनके द्वारा रखे गए शेयरों का सबूत देनेवाले भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदनों की प्रतियां। बिक्री आय को यथा लागू अनिवासी विदेशी/ अनिवासी रुपया खाते में जमा किया जाएगा।

iv. सनदी लेखाकार से शेयरों का उचित मूल्य दर्शानेवाला प्रमाणपत्र।

v. आयकर प्राधिकरण/ सनदी लेखाकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र/ कर बेबाकी प्रमाणपत्र।

vi. क्रेता से इस आशय का प्रमाणपत्र कि मूल्य निर्धारण में दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

6. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

6.1 निवासी से अनिवासी अथवा अनिवासी से निवासी के बीच शेयरों का अंतरण फार्म एफसी-टीआरएस में किया जाना चाहिए । वसूली की राशि की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर फार्म एफसी-टीआरएस प्राधिकृत व्यापारी के पास जमा किया जाना चाहिये । निर्धारित समय सीमा के भीतर फार्म एफसी-टीआरएस जमा करने की जिम्मेदारी भारत में निवास करने वाले अंतरकर्ता/ अंतरिती की है । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उसे संपर्क कार्यालय को अग्रेषित करेगा । संपर्क कार्यालय इन फॉर्मों को समेकित करके एक मासिक रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक[22] को प्रेषित करेगा । [20]

प्राधिकृत व्यापारी , इस प्रयोजन के लिए ,विशेष रूप से ऐसे लेनदेन करने के लिए शाखाओं को नामित करें। इन इन शाखाओं में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्टाफ को रखा जाए ताकि लेनदेनों का सुगमतापूर्वक किया जाना सुनिश्चित हो सके । प्राधिकृत व्यापारी इन शाखाओं के कार्यों के समन्वयन के लिए एक नोडल कार्यालय को नामित भी करे और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करें कि इन लेनदेनों की रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक को की जाती है।

6.2 जब अंतरण निजी व्यवस्था आधार पर होता है, लेनदेन के निपटान पर अंतरिती/ विधिवत नियुक्त किया गया उसका एजेंट फार्म एफसी-टीआरएस में प्राधिकृत व्यापारी शाखा से प्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र

के साथ कि अंतरकर्ता ने प्रेषण प्राप्त कर लिया है/ अंतरिती द्वारा भुगतान किया गया है, अपनी बहियों में अंतरण दर्ज करने के लिए निवेशिती कंपनी से संपर्क करें। प्राधिकृत व्यापारी से प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर कंपनी अपनी बहियों में अंतरण को रिकार्ड करे।

6.3 प्राधिकृत व्यापारी शाखा शेयरों के ऐसे अंतरण के कारण हुए निधियों के वास्तविक आवक और जावक की सूचना यथासमय आर-विवरणी में करेगा।

6.4 इसके अलावा , प्राधिकृत व्यापारी शाखा संलग्न प्रोफार्मा में (जिसमें एमएस-एक्सेल फार्मेट में तैयार किया जाना है) आइबीडी/ एफईडी अथवा इस प्रयोजन के लिए नामित नोडल अधिकारी को बिक्री के माध्यम से शेयरों के अंतरण के संबंध में प्राप्त/ किए गए प्रेषणों के कारण हुए बहिर्वाह/ अंतर्वाह निधियों के विवरण के साथ अपने ग्राहकों से प्राप्त फार्म एफसी-टीआरएस दो प्रतियों में प्रस्तुत करे। आइबीडी/ एफईडी अथवा बैंक का नोडल कार्यालय अपनी पारी आने पर अपनी शाखाओं से प्राप्त एफसी-टीआरएस फार्मों की प्रतियों के साथ अपनी शाखाओं द्वारा सूचित सभी लेनदेनों के संबंध में एक समेकित मासिक विवरण विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेश निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को सॉफ्ट कॉपी (एमएस-एक्सेल में) में fdidata@rbi.org.inको ई-मेल द्वारा प्रस्तुत करेगा।

6.5 निजी व्यवस्था के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीदे/ बेचे गए शेयर उनके विशेष अनिवासी रुपया खाते के नामे/ जमा डाले जाएंगे। अतः संबंधित विदेशी संस्थागत निवेशक के नामित बैंक द्वारा लेनदेन की रिपोर्टिंग **भी** की जानी चाहिए।

6.6 पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत अनिवासी भारतीय, विदेशी कंपनी निकायों द्वारा खरीदे गए भारतीय कंपनियों के शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचरों को निजी व्यवस्था के तहत बिक्री के माध्यम से अंतरित नहीं किया जा सकता है।

6.7 प्राधिकृत व्यापारी से विवरण की प्राप्ति पर, रिज़र्व बैंक अंतरणकर्ता अंतरिती की अपेक्षानुसार यथावश्यक अतिरिक्त ब्योरे मंगा सकता है अथवा निदेश दे सकता है।

* * * * * * *

संलग्नक -4

भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा उपहार के तौर पर भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को शेयर का अंतरण करने के लिए प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेज़

i. अंतरणकर्ता (दाता) और अंतरिती (आदाता) का नाम और पता।

ii. अंतरणकर्ता और अंतरिती के बीच रिश्ता।

iii. उपहार देने के कारण।

iv. सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खज़ाना बिलों तथा बांडों के मामले में ऐसे प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य पर सनदी लेखाकार द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र।

v. घरेलू म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों और मुद्रा बाज़ार म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों के मामले में ऐसे प्रतिभूति के निवल परिसंपत्ति मूल्य के संबंध में जारीकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र ।

vi. शेयरों और डिबेंचरों के मामले में, सेक्यूरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अथवा पूर्ववत डीसीएफ पद्धत्ति के क्रमशः सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियों के बारे में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य के संबंध में सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र ।

संबंधित भारतीय कंपनी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि निवासी से अनिवासी को उपहार के तौर पर शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेचरों का प्रस्तावित अंतरण लागू सेक्टोरल कैप/ कंपनी में लागू विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा और कि अनिवासी अंतरिती द्वारा धारित शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रस्तावित संख्या कंपनी के प्रदत्त पूंजी [23] के 5 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होगा।

vii. निवासी अंतरणकर्ता से इस आशय का एक वचनपत्र कि अंतरणकर्ता द्वारा प् भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को पहले ही अंतरित की जा चुकी किसी प्रतिभूति सहित अंतरित की जा रही प्रतिभूति का मूल्य कैलेंडर वर्ष के दौरान 25, 000 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक न हो ।

[23] दिनांक 25 अगस्त 2005 का एपी(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 08

संलग्नक -5

(भाग-I, खंड- I, पैरा 22)

कंपनी अधिनियम, 1956 के खण्ड 6 में यथा उल्लिखित "रिश्तेदार" की परिभाषा

एक व्यक्ति को दूसरे का रिश्तेदार तभी और सिर्फ तभी माना जाएगा जब :

(क) वे हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य हैं; अथवा

(ख) वे पति पत्नी हैं; अथवा

(ग) उनका एक दूसरे से सूची Iअ में दर्शाये अनुसार (निम्नानुसार) रिश्ता है

1. पिता
2. माता (सौतेली माता सहित)
3. बेटा (सौतेला बेटा सहित)
4. बेटे की पत्नी
5. बेटी (सौतेली बेटी सहित)
6. पिता के पिता
7. पिता की माता
8. माता की माता
9. माता के पिता
10. बेटे का बेटा
11. बेटे के बेटे की पत्नी
12. बेटे की बेटी
13. बेटे की बेटी के पति
14. बेटी का पति
15. बेटी का बेटा
16. बेटी के बेटे की पत्नी
17. बेटी की बेटी
18. बेटी की बेटी के पति
19. भाई (सौतेला भाई सहित)
20. भाई की पत्नी
21. बहन (सौतेली बहन सहित)
22. बहन का पति

संलग्नक-6

[भाग-I, खंड- I, पैरा 18(i) (क)]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत शेयर /परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए उगाही गई राशि प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा रिपोर्ट

(3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 20/2000 आरबी. की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(अ) में यथा निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है,उगाही गई राशि प्राप्त करने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर उस कंपनी द्वारा जमा किया जाना चाहिए।

आयकर विभाग द्वारा निवेशक कंपनी को आबंटित स्थायी खाता सं (पैन)														

सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरों में)
1.	भारतीय कंपनी का नाम क्षेत्रीय कार्यालय का पता फैक्स टेलीफोन ई-मेल	
2.	**विदेशी निवेशक/ सहयोगी संस्था के ब्योरे**	
	नाम पता देश	
3.	**निधियां प्राप्ति की तारीख**	
4.	**राशि**	विदेशी मुद्रा में | भारतीय रुपयों में

5.	क्या निवेश स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत है ? यदि अनुमोदन मार्ग के तहत हो तो कृपया ब्योरे दें (अनुमोदन की संदर्भ संख्या और दिनांक) दें ।	स्वतः अनुमोदित मार्ग / अनुमोदन मार्ग
6.	प्राधिकृत व्यापारी का नाम जिसके माध्यम से प्रेषण प्राप्त किया गया है ।	
7.	प्राधिकृत व्यापारी का पता	

उपर्युक्त के अनुसार शेयर /परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए उगाही गई राशि प्राप्त होने के सबूत के तौर पर एफआईआरसी की एक प्रति इसके साथ संलग्न है ।

निवेशिती कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर (मुहर)	प्राधिकृत व्यापारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर (मुहर)

केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ

प्रेषण प्राप्ति हेतु आबंटित यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर :									

संलग्नक-7

(भाग-I, खंड- I, पैरा 18(i)(क)

अनिवासी निवेशक के संबंध में " अपने ग्राहक को जानिए " फार्म

प्रेषक/ निवेशक का पंजीकृत नाम (यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो तो उसका नाम दिया जाए)	
पंजीकरण संख्या (यूनीक पहचान संख्या * यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो)	
पंजीकृत पता (स्थायी पता , (स्थायी पता यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो)	
प्रेषक के बैंक का नाम	
प्रेषक का बैंक खाता संख्या	
प्रेषक के साथ कब से बैंकिंग तालुकात हैं ?	

पासपोर्ट नं., सोशियल सिक्योरिटी नं., अथवा अन्य कोई यूनीक नं. जो कि यह प्रमाणित करता हो कि प्रेषक के देश के नियमों के अनुसार वह सही प्रेषक है ।

हम इसकी पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निवेशक के समुद्रपारीय विप्रेषक बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गई ऊपर प्रस्तुत जानकारी सत्य और सही है ।

प्रेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

मुहर

संलग्नक-8

(भाग-I, खंड- I, पैरा 18(iii))

एफसी-जीपीआर

भाग-अ

(जब कभी विदेशी निवेशकों को शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए जाएं इस फॉर्म के साथ संलग्न वचन पत्र की मद सं. 4 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, उस कंपनी द्वारा भरा जाना चाहिए।)

आयकर विभाग द्वारा निवेशिती कंपनी को आबंटित स्थायी खाता सं (पैन)																
शेयरों / डिबेंचरों को जारी करने का दिनांक										

सं.	**ब्योरे**	**(स्पष्ट अक्षरों में)**
1.	नाम	
	पंजीकृत कार्यालय का पता	
	राज्य	
	कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया पंजीकरण सं.	
	मौजूदा कंपनी अथवा नई कंपनी है (जो लागू न हो उसे काट दें)	मौजूदा कंपनी/नई कंपनी
	मौजूदा कंपनी के मामले में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण सं., अगर कोई हो तो, दें।	
	फैक्स	
	टेलीफोन	
	ई-मेल	

<table>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">मुख्य कारोबारी कार्यकलाप का ब्योरा</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">एनआइसी कूट</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">परियोजना का स्थान और परियोजना जहां स्थित है, उस जिले का एनआइसी कूट</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार अनुमत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रतिशत</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">उल्लेख करें कि क्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वत: अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत है ? (जो न लागू हो , उसे काट दें।)</td><td>स्वतः अनुमोदित मार्ग / अनुमोदन मार्ग</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">विदेशी निवेशक/ सहयोगी के ब्योरे*</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">नाम
पता
देश
गठन/ निवेश करने वाली संस्था का स्वरूप
उल्लेख किया जाए कि क्या
1. कोई व्यक्ति
2.कंपनी
3.विदेशी संस्थागत निवेश
4.विदेशी जोखिम पूंजी
5.विदेशी न्यास
6.निजी ईक्विटी फंड
7.पेशन/ प्रोविडेंट फंड
8.सरकारी धन निधि[24]
9.साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म
10.वित्तीय संस्थान
11.अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति
12अन्य (कृपया उल्लेख करें)
गठन की तारीख</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">जारी किए गए शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के ब्योरे</td></tr>
<tr><td>(क)</td><td colspan="3">निर्गम का स्वरूप और तारीख</td></tr>
<tr><td></td><td>निर्गम का स्वरूप</td><td>निर्गम की तारीख</td><td>शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या</td></tr>
</table>

	01	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/एफपीओ		
	02	अधिमान आबंटन/निजी स्थान नियोजन		
	03	अधिकार		
	04	बोनस		
	05	बाह्य वाणिज्यिक उधार का परिवर्तन		
	06	रॉयल्टी का परिवर्तन (एकमुश्त भुगतान सहित)		
	07	विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात पर परिवर्तन		
	08	इएसओपी		
	09	शेयर स्वैप		
	10	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)		
		कुल		

(ख)	**जारी किए गए प्रतिभूति का प्रकार**						
	संख्या	**प्रतिभूति का स्वरूप**	**संख्या**	**परिपक्वता**	**अंकित मूल्य**	**निर्गम मूल्य प्रति शेयर**	**आवक राशि**
	01	ईक्विटी					
	02	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर					
	03	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर					
	04	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)					

---

* यदि एक से ज्यादा विदेशी निवेशक/ सहयोगी होते हों तो मद सं. 3 तथा 4 के लिए अलग से संलग्नक शामिल किया जाए। .

24 सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश माध्यम, जिसका निधियन विदेशी विनियमन परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता हो और जो मौद्रिक प्राधिकरणों के शासकीय निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करता हो।

i) निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्राप्त प्रीमियम का ब्रेकअप दें।

ii) * अगर निर्गम बाह्य वाणिज्यिक उधार अथवा रॉयल्टी के परिवर्तन पर अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात पर है तो परिवर्तन की तारीख को बकाया राशि को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र।

(ग)	**प्रीमियम का ब्रेक-अप**	**राशि**		
	कंट्रोल प्रीमियम			
	गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क			
	अन्य			
	कुल			
	@ कृपया प्रकार स्पष्ट करें			
(घ)	निम्नलिखित के माध्यम से अनिवासियों को शेयर जारी करने से **कुल आवक** (रुपये में) (प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित) (i) प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से विप्रेषण (ii) _______ बैंक के पास अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते में नामे (iii) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची –I के पैरा 9 (1) अ (i) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक को उपर्युक्त (i) और (ii) रिपोर्ट करने की तारीख			
(ङ)	**जारी किए गए शेयरों का उचित मूल्य का प्रकटीकरण ****			
	हम सूचीबद्ध कंपनी हैं और निर्गम की तारीख को एक शेयर का बाज़ार मूल्य है*			
	हम असूचीबद्ध कंपनी हैं और एक शेयर का उचित मूल्य है*			

***** शेयर के निर्गम से पहले*** ****(कृपया, जैसा लागू हो, दर्शायें)***

5.	**निर्गम के पश्चात शेयर धारिता का स्वरूप**							
	निवेशक वर्ग		**ईक्विटी**			**अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमान शेयर/ डिबेंचर**		
			शेयरों की सं.	**राशि (अंकित मूल्य) रु.**	**%**	**शेयरों की सं.**	**राशि (अंकित मूल्य)रु.**	**%**
क)	**अनिवासी**							
	01	**कोई व्यक्ति**						
	02	**कंपनी**						

	03	विदेशी संस्थागत निवेश						
	04	विदेशी जोखिम पूंजी						
	05	विदेशी न्यास						
	06	निजी ईक्विटी फंड						
	07	पेंशन/ प्रोविडेंट फंड						
	08	सरकारी धन निधि						
	09	साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म						
	10	वितीय संस्थान						
	11	अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति						
	12	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)						
		उप-कुल						
ख)		निवासी						
कुल								

भारतीय कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भरी जानेवाली घोषणा :
(जो लागू न हो उसे काट कर हस्ताक्षर करें)

हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि -

1. हम समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी में दर्शाए गए अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत यथानिर्धारित शेयरों की निर्गम की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।
2. निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत क्षेत्रीय नीति/ सीमा के अंदर है तथा हम स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत निवेशों के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं अर्थात् (जो लागू न हो उसे काट दें)

   क) विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों को छोडकर) जिसे हमने शेयर जारी किया है, का भारत में उसी क्षेत्र में मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार है तथा भारत सरकार के समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परिपत्र के पैरा 4.2 में निहित शर्तों का अनुपालन किया है।

अथवा

विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों को छोडकर) जिसे हमने शेयर जारी किया है, का भारत में उसी क्षेत्र में कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार नहीं है।
"उसी क्षेत्र" के प्रयोजन के लिए 4 अंकों वाली एनआईसी 1987 कुट प्रासंगिक होगी।

ख)हम लघु उद्योग इकाई के लिए आरक्षित औद्योगिक उपक्रम विनिर्माण नहीं हैं ।

अथवा

हम लघु उद्योग इकाई के लिए आरक्षित औद्योगिक उपक्रम विनिर्माण हैं तथा प्रदत्त पूंजी की 24 प्रतिशत की निवेश सीमा का अनुसरण किया है/ अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं।

ग) अधिकार आधार पर जो निवासियों को जारी किए गए शेयर समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 मई 2000 को जारी अधिसूचना सं.20/2000-आरबी के अनुरूप है।

अथवा

ङ) जारी किए गए शेयर बोनस शेयर हैं।

अथवा

शेयर भारत में कोर्ट द्वारा विधिवत अनुमोदित एक अथवा उससे अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन और समामेलन की योजना अथवा विलयन न करके अथवा अन्य प्रकार द्वारा पुनर्निर्माण की योजना के तहत जारी किए गए हैं।

अथवा

शेयर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत जारी किए गए हैं तथा इस निर्गम के संबंध मे शर्तों को पूरा किया गया है।

3. शेयर दिनांक . . . . के एसआइए/एफआइपीबी अनुमोदन सं. के अनुसार जारी किए गए हैं ।

4. हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9 (1) (आ) के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं।

(i) कंपनी-सचिव से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र कि:

(क) कंपनी अधिनियम 1956 की सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी हैं;

(ख) सरकारी अनुमोदन की सभी शर्तों , यदि कोई हों, उनका अनुपालन कर लिया गया है;

(ग) कंपनी इन विनियमों के तहत शेयर जारी करने की पात्र है और

(घ) कंपनी के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार धन प्राप्ति के सबूत के तौर पर भारत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र मौजूद हैं।

(ii) सांविधिक लेखापरीक्षक / सेबी में पंजीकृत वाणिज्यिक बैंकर श्रेणी-I/ सनदी लेखाकार से भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को जारी शेयरों की कीमत नियत करने का तरीका बताते हुए एक प्रमाणपत्र ।

5. शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी एगाही के रूप में प्राप्त प्रेषणों के लिए जारी यूआईनंबर ।

आर							

आर							

(आवेदक का हस्ताक्षर)* : ____________________________________

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :

(हस्ताक्षरी का पदनाम) :

स्थान :

दिनांकः

(* कंपनी के प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)

निवेश स्वीकार करनेवाली भारतीय कंपनी के कंपनी सचिव[25] द्वारा भरा जानेवाला प्रमाणपत्र :

(3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(आ)(i) के अनुसार)

उपर्युक्त ब्योरों के संबंध में हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :

1. कंपनी अधिनियम, 1956 के सभी अपेक्षाओ को पूरा किया गया है।
2. सरकारी अनुमोदन के शर्तों, यदि कोई हो तो, का अनुपालन किया गया है।
3. इन विनियमों के अधीन शेयर / परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए कंपनी पात्र है।
4. कंपनी के पास सभी मूल प्रमाणपत्र मौज़ूद हैं जो भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं, और जो 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9 (1) (आ) के अनुसार प्रतिफल राशि की प्राप्ति का सबूत है।

(कंपनी सचिव का नाम और हस्ताक्षर)
(मुहर)

- * * * * * * * * * * * * *

केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ

एफसी-जीपीआर के लिए पंजीकरण नंबर:											

प्रेषण की प्राप्ति के समय कंपनी को आबंटित यूआईएन	**आर**										

---

[25] यदि कंपनी में पूर्णकालिक कंपनी सचिव न हो तो कंपनी सचिव का कार्य करने वाले व्यक्ति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।

[30 मई 2008 के एपी(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.44 के संलग्नक -1 का भाग आ]

एफसी-जीपीआर

भाग-आ

i) फॉर्म एफसी-जीपीआर का यह भाग भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8, तीसरी मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 को प्रस्तुत किया जाए (टेलीफोन : 26571265, 26572513 : फैक्स : 26570848: ई-मेल : e mail: surveyfla@rbi.org.in

ii) पिछले वर्षों के दौरान भारतीय कंपनियों में प्रत्यक्ष/ पोर्टफोलिया/ पुनः निवेशित अर्जनों/ अन्य के रूप में किए गए सभी निवेशों से संबंधित इस वार्षिक विवरणी को प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्रस्तुत किया जाए (अर्थात् 31 जुलाई 2008 तक प्रस्तुत भाग आ में प्रस्तुत जानकारी पिछले वर्ष के 31 मार्च 2008 के दौरान किए गए निवेशों से संबंधित होगी)। रिपोर्ट किये जाने वाले निवेशों में कंपनी में किए गये वे सभी निवेश शामिल होंगे जो कि तुलनपत्र की तारीख में बकाया होंगे । कंपनी में प्रत्यक्ष/संभागीय दोनों के तहत किये गये समुद्रपारीय ध निवेशों के ब्योरे अलग से दर्शाये जायें। कृपया आवश्यक जानकारी संकतिल करने के लिए मार्च के अंत की बाजार-कीमतें/ विनिमय दरें प्रयोग की जायें।

आयकर विभाग द्वारा कंपनी को आबंटित स्थायी खाता संख्या (पैन)		
सं.	**ब्योरे**	**(स्पष्ट अक्षरों में)**
1.	नाम पता राज्य कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी को दिया गया पंजीकरण सं.	
2.	संपर्की का नाम : टेलीफोन फैक्स	पदनाम: ईमेल : वेबसाइट (यदि कोई है)
3.	खाता बंद करने की तारीख	

4.	पहले प्रस्तुत सूचना के संबंध में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसके ब्योरे (कंपनी के नाम/ जगह, कार्यकलाप, आदि में परिवर्तन)	
5.	**क्या कंपनी सूचीबद्ध है अथवा गैर-सूचीबद्ध**	सूचीबद्ध है अथवा गैर-सूचीबद्ध
5.1	यदि सूचीबद्ध है, I. मार्च के अंत में प्रति शेयर की कीमत II. अद्यतन तुलनपत्र की तारीख में प्रति शेयर की निवल कीमत	
5.2	यदि गैर-सूचीबद्ध है, अद्यतन तुलनपत्र की तारीख में प्रति शेयर की निवल कीमत	

6. **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**

	राशि लाख रुपये में			
	भारत में विदेशी देयताएं*		**भारत से बाहर विदेशी परिसंपत्तियां&**	
	पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया	चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया	पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया	चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया
6.0 **ईक्विटी पूंजी**				
6.1 अन्य पूंजी $^{\Omega}$				
6.2 वर्ष के दौरान विनिवेश				
6.3 वर्ष के दौरान रोके गए अर्जन+				

7. **पोर्टफोलियो और अन्य निवेश**

[उपर्युक्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत उल्लिखित को छोड़कर बकाया निवेशों को यहां प्रस्तुत करें]

	राशि लाख रुपये में			
	भारत में विदेशी देयताएं		**भारत से बाहर विदेशी परिसंपत्तियां**	
	पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया	**चालू वर्ष** के मार्च अंत में बकाया	**पिछले वर्ष** के मार्च अंत में बकाया	**चालू वर्ष** के मार्च अंत में बकाया
7.0 ईक्विटी प्रतिभूतियां				
7.1 ऋण प्रतिभूतियां				
7.1.1 बांड और नोट				

7.1.2 मुद्रा बाज़ार लिखतें				
7.2 वर्ष के दौरान भारत में विनिवेश				
8. वित्तीय डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल्य)				
9. अन्य निवेश				
9.1 व्यापार ऋण				
9.1.1 अल्पावधि				
9.1.2 दीर्घावधि				
9.2 ऋण [∞]	नीचे नोट देखें			
9.3 अन्य				
9.3.1 अल्पावधि				
9.3.2 दीर्घावधि				

10.	**मार्च अंत में शेयर धारिता का पैटर्न**							
	निवेशक वर्ग/ निवेशक संस्था का स्वरूप		**ईक्विटी**			**अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर/ डिबेंचर**		
			शेयरों की सं.	**राशि (अंकित मूल्य) रु.**	**%**	**शेयरों की सं.**	**राशि (अंकित मूल्य)रु.**	**%**
क)	**अनिवासी**							
	01	**कोई व्यक्ति**						
	02	**कंपनी**						
	03	**विदेशी संस्थागत निवेश**						
	04	**विदेशी जोखिम पूंजी**						
	05	**विदेशी न्यास**						
	06	**निजी ईक्विटी फंड**						
	07	**पेंशन/ प्रोविडेंट फंड**						
	08	**सरकारी धन निधि**[26]						
	09	**साझेदारी/ स्वामित्ववाली फर्म**						
	10	**वित्तीय संस्थान**						
	11	**अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति**						

	12	**अन्य** (कृपया स्पष्ट करें)						
	उप-कुल							
ख)	**निवासी**							
कुल								
11.	31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित व्यक्ति ®							
	प्रत्यक्ष रूप से							
	अप्रत्यक्ष रूप से							
	कुल							

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)* : ______________________________

नाम(स्पष्ट अक्षरों में) :

पदनाम :

स्थान :

दिनांकः

(*कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)

* * * * * * * * * * * * * * * * *

संलग्नक-9

(भाग-1, खंड-1 पैरा 21(ii))

फार्म एफसी-टीआरएस			
निवासी से अनिवासी को/अनिवासी से निवासी को बिक्री द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/डिबेंचरों के अंतरण के बारे में घोषणा			
	(प्राधिकृत व्यापारी शाखा को धन प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।		
	निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं ; भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/डिबेंचरों की बिक्री के लिए		
	(i)	विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत् नियुक्त एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र तथा बाद वाले मामले में पॉवर ऑफ एटर्नी दस्तावेज	
	(ii)	भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशिती कंपनी के शेयरधारिता का तरीका	
	(iii)	सनदी लेखाकार द्वारा शेयरों का उचित मूल्य दर्शाते हुए प्रमाणपत्र।	
	(iv)	अगर बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में किया हो तो ब्रोकर के नोट की प्रति।	
	(v)	क्रेता से इस बात का आश्वासन पत्र कि वह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अधीन शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/डिबेंचरों अधिगृहीत करने का पात्र है और वर्तमान सेक्टोरल सीमाओं और मूल्य निर्धारण दिशानिदेशों का पालन किया गया है।	
	(vi)	विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाते से इस बात का आश्वासन पत्र कि सेबी द्वारा निर्धारित एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाता सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।	
	भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/ डिबेंचरों की बिक्री से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज		
	(vii)	अगर विक्रेता अनिवासी भारतीय/ समुद्रपारीय निगमित निकाय हो तो प्रत्यावर्तनीय/ गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर उनके द्वारा धारित शेयरों के सबूत के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की प्रतियां	
	(viii)	आयकर प्राधिकारी/ सनदी लेखाकार से अनापत्ती / कर बेबाकी प्रमाणपत्र।	
1	**कंपनी का नाम**		
	पता (ई-मेल, टेलीफोन सं., फैक्स सं. सहित)		
	कार्यकलाप		
	एनआइसी कूट सं.		
2	**क्या स्वतःअनुमोदित मार्ग के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है?**		
	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत क्षेत्रीय सीमा		

3	लेनदेन का स्वरूप ***(जो लागू न हो उसे काट दें)***	निवासी से अनिवासी को अंतरण अनिवासी से निवासी को अंतरण
4	**क्रेता का नाम**	
	विनिवेशक संस्था का गठन/स्वरूप **स्पष्ट करें कि क्या,**	
	1. कोई व्यक्ति	
	2. कंपनी	
	3. विदेशी संस्थागत निवेश	
	4. विदेशी जोखिम पूंजी	
	5. विदेशी न्यास	
	6. निजी ईक्विटी फंड	
	7. पेंशन/ प्रोविडेंट फंड	
	8. सरकारी धन निधि π	
	9. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म	
	10. वित्तीय संस्थान	
	11. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति	
	12. अन्य	
	निगमित होने की तारीख तथा स्थान	
	क्रेता का नाम व पता (ई-मेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स आदि शामिल करें)	
5.	**विक्रेता का नाम**	
	विनिवेशक संस्था का गठन/स्वरूप	
	निगमित होने की तारीख तथा स्थान	
	1. कोई व्यक्ति	
	2. कंपनी	
	3. विदेशी संस्थागत निवेश	
	4. विदेशी जोखिम पूंजी	
	5. विदेशी न्यास	
	6. निजी ईक्विटी फंड	
	7. पेशन/ प्रोविडेंट फंड	
	8. सरकारी धन निधि π	
	9. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म	
	10. वित्तीय संस्थान	

	11. अनिवासीभारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति 12.	
	13. अन्य	
	निगमित होने की तारीख तथा स्थान	
	विक्रेता का नाम व पता (इ-मेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स आदि शामिल करें)	
6.	**भारतीय रिजर्व बैंक/ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पिछले अनुमोदन के ब्यौरे**	
7.	**अंतरित किये जाने वाले शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/डिबेंचरों के ब्यौरे**	

लेनदेन करने की तारीख	**शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/डिबेंचरों की संख्या**	**अंकित मूल्य रु. में**	**अंतरण के लिए तय की गई कीमत रु. में**	**वसूल की गई राशि रु. में**

Π सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश माध्यम, जिसका निधीयन विदेशी विनिमय परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता है और जो मौद्रिक प्राधिकरणों के शासकीय निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करता है।

8	**कंपनी में विदेशी निवेश**		शेयरों की संख्या	प्रतिशत
		अंतरण से पहले		
		अंतरण के बाद		
9	**जहाँ शेयर / अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयर / डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है;**			
	स्टॉक एक्सचेंज का नाम			
	स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई कीमत			
	जहाँ शेयर /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयर /डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में गैर-सूचीबद्ध हैं?			
	मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों के अनुसार कीमत*			
	सनदी लेखाकार के मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार कीमत (*/**सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र जोड़ा जाए)			

अंतरणकर्ता/अंतरिती द्वारा घोषणा

मैं/ हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/ करते हैं कि :

(i)	ऊपर दिए गए ब्योरे मेरे/ हमारी जानकारी तथा विश्वास में सत्य और सही है
(ii)	मैं/हम फेरा/फेमा विनियमावली के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार प्रत्यावर्तनीय/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/ डिबेंचरों को धारित करता था/ करते थे
(iii)	मैं/हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार कंपनी के अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/ डिबेंचरों शेयर के अधिग्रहण के लिए पात्र हूं/ हैं। यह वित्तीय सेवा क्षेत्र अथवा ऐसा क्षेत्र है जहां सामान्य अनुमति उपलब्ध नहीं है, में कार्यरत कंपनी के अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/ डिबेंचरों से संबंधित अंतरण नहीं है।
(iv)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों के अधीन सेक्टोरल सीमाओं का पालन किया गया है।

घोषणाकर्ता अथवा उसके विधिवत

दिनांक : **प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर**

टिप्पणी: निवासी से अनिवासी को निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/ डिबेंचरों के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा अनिवासी से निवासी को अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/ डिबेंचरों के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो

प्राधिकृत व्यापारी शाखा का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है।

लेनदेन के लिए प्राप्ति/ भुगतान फेमा विनियमावली/ रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम और पदनाम

दिनांक : प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम

प्राधिकृत व्यापारी कूट

संलग्नक -10
[भाग-I,खंड-I , पैरा 29]

फॉर्म डीआर

[अनुसूची-I का पैराग्राफ 4(2) देखें]

जीडीआर/ एडीआर के निर्गम का प्रबंध करनेवाली भारतीय कंपनी द्वारा फाइल की जानेवाली विवरणी

निर्देश : इस फार्म को पूरा भरकर भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए।

1. कंपनी का नाम
2. पंजीकृत कार्यालय का पता
3. पत्राचार के लिए पता
4. वर्तमान कारोबार (उस कार्यकलाप का एनआइसी कूट दें जिसमें कंपनी मुख्य रूप से कार्यरत है)
5. जीडीआर/एडीआर उगाहने के प्रयोजन के ब्योरे। यदि निधियां समुद्रपारीय निवेश के लिए उपयोग की गई हों, तो उसके ब्योरे
6. विदेश के डिपाज़िटरी का नाम और पता
7. अग्रणी प्रबंधक/ निवेश/ मर्चेंट बैंकर का नाम और पता
8. निर्गम के उप-प्रबंधकों के नाम और पते
9. भारतीय अभिरक्षकों के नाम और पते
10. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के ब्योरे (अगर जीडीआर स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत जारी किए जाते हैं तो संबद्ध एनआइसी कूट कोट करें)
11. क्या विदेशी निवेश के लिए कोई समग्र क्षेत्रीय सीमा लागू है? अगर हां, तो कृपया ब्योरे दें

12.	ईक्विटी पूंजी के ब्योरे	निर्गम से पहले	निर्गम के बाद
	क) प्राधिकृत पूंजी		
	ख) निर्गमित तथा प्रदत्त पूंजी		
	i) भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित		
	ii) विदेशी संस्थागत निवेशकों/ अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ समुद्रपारीय निगमित निकायों को छोड़कर विदेशी निवेशकों द्वारा धारित (प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक धारित करनेवाले विदेशी निवेशकों की सूची तथा उनमें प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट की जाए)		
	iii) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी कंपनी निकायों द्वारा धारित		
	iv) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित		
	अनिवासी द्वारा धारित कुल ईक्विटी		
	ग) कुल प्रदत्त पूंजी में अनिवासियों द्वारा धारित कुल ईक्विटी का प्रतिशत		
13.	क्या निर्गम निजी व्यवस्था आधार पर था? अगर हां, तो निवेशकों तथा प्रत्येक को जारी एडीआर/ जीडीआर के ब्योरे दें		
14.	जारी जीडीआर/ एडीआर की संख्या		
15.	जीडीआर/ एडीआर पर अंडरलाइंग शेयरों का		

अनुपात

16. <u>निर्गम से संबंधित खर्चे</u>

(क) मर्चेंट बैंकरों/ अग्रणी प्रबंधक को अदा की गई/ देय शुल्क

(i) राशि (अमरीकी डॉलर, आदि में)

(ii) कुल निर्गम के प्रतिशत के तौर पर राशि

(ख) अन्य खर्चे

17. क्या निधियां विदेश में रखी गई हैं? अगर हां, तो बैंक का नाम और पता

18. सूचीबद्ध करने की व्यवस्था के ब्योरे

स्टॉक एक्सचेंज का नाम

व्यापार (ट्रेडिंग) शुरू करने की तारीख

19. एडीआर/ जीडीआर निर्गम आरंभ करने की तारीख

20. उगाही गई राशि (अमरीकी डॉलर में)

21. प्रत्यावर्तित राशि (अमरीकी डॉलर में)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है।

ह./-	ह./-
सनदी लेखाकार	कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी

संलग्नक -11
[भाग-I,खंड-I , पैरा 29]

फॉर्म डीआर- त्रैमासिक
[अनुसूची-I का पैराग्राफ 4(3) देखें]

तिमाही विवरणी

(भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए)

1. कंपनी का नाम
2. पता
3. जीडीआर/एडीआर निर्गम प्रारंभ करने की तारीख
4. जारी किए गए जीडीआर/एडीआर की कुल सं.
5. उगाही गई कुल राशि
6. तिमाही के अंत तक अर्जित कुल ब्याज
7. निर्गम के खर्चे और कमीशन आदि
8. प्रत्यावर्तित राशि
9. विदेश में रखी गई शेष - ब्योरे
   (i) बैंक जमा राशियां
   (ii) खजाना बिल
   (iii) अन्य (कृपया उल्लेख करें)
10. अब तक बकाया जीडीआर की संख्या
11. तिमाही के अंत में कंपनी के शेयर की कीमत
12. तिमाही के अंत में समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई जीडीआर की कीमत

प्रमाणित किया जाता है कि एडीआर/जीडीआर द्वारा उगाही गई निधियों को शेयर मार्केट अथवा स्थावर संपदा में निवेश नहीं किया गया हैं।

ह./-	ह./-
सनदी लेखाकार	कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी

परिशिष्ट

भारत में विदेशी निवेश/ अचल संपत्ति का अभिग्रहण / भारत में शाखा कार्यालय/ संपर्क और परियोजना कार्यालय खोलने तथा स्वामित्ववाली/ साझेदारी फर्मों में निवेश के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची

क्रम सं.	अधिसूचना	दिनांक
1.	सं.फेमा 32/2000-आरबी	दिसंबर 26, 2000
2.	सं.फेमा 35/2001-आरबी	फरवरी 16, 2001
3.	सं.फेमा 41/2001-आरबी	मार्च 2, 2001
4.	सं.फेमा 45/2001-आरबी	सितंबर 20, 2001
5.	सं.फेमा 46/2001-आरबी	नवंबर 29, 2001
6.	सं.फेमा 50/2002-आरबी	फरवरी 20, 2002
7.	सं.फेमा 55/2002-आरबी	मार्च 7, 2002
8.	सं.फेमा 76/2002-आरबी	नवंबर 12, 2002
9.	सं.फेमा 85/2003-आरबी	जनवरी 17, 2003
10.	सं.फेमा 94/2003-आरबी	जून 18, 2003
11.	सं.फेमा 100/2003-आरबी	अक्तूबर 3, 2003
12.	सं.फेमा 101/2003-आरबी	अक्तूबर 3, 2003
13.	सं.फेमा 106/2003-आरबी	अक्तूबर 27, 2003
14.	सं.फेमा 108/2003-आरबी	जनवरी 1, 2004
15.	सं.फेमा 111/2004-आरबी	मार्च 6, 2004
16.	सं.फेमा 118/2004-आरबी	जून 29, 2004
17.	सं.फेमा 122/2004-आरबी	अगस्त 30, 2004
18.	सं.फेमा 125/2004-आरबी	नवंबर 27, 2004
19.	सं.फेमा 130/2005-आरबी	मार्च 17, 2005
20.	सं.फेमा 131/2005-आरबी	मार्च 17, 2005
21.	सं.फेमा 136/2005-आरबी	जुलाई 19, 2005
22.	सं.फेमा 137/2005-आरबी	जुलाई 22, 2005
23.	सं.फेमा 138/2005-आरबी	जुलाई 22, 2005
24.	सं.फेमा 149/2006-आरबी	जून 9, 2006

25.	सं.फेमा 153/2006-आरबी	31 मई 2007
26.	सं.फेमा 167/2007-आरबी	23 अक्तूबर 2007
27.	सं.फेमा 170/2007-आरबी	13 नवंबर 2007
28.	सं.फेमा 179/2008-आरबी	22 अगस्त 2008
29.	सं.फेमा 202/2009-आरबी	10 नवंबर 2009
30.	सं.फेमा 205/2010-आरबी	07 अप्रैल 2010
परिपत्र		
क्रम सं.	**परिपत्र**	**दिनांक**
1.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 14	26 सितंबर , 2000
2.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	जनवरी 6, 2001
3.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	फरवरी 22, 2001
4.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	अप्रैल 28, 2001
5.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	नवंबर 29, 2001
6.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.21	फरवरी 13, 2002
7.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	मार्च 11, 2002
8.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.45	नवंबर 12, 2002
9.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.52	नवंबर 23, 2002
10.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.68	जनवरी 13, 2003
11.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.69	जनवरी 13, 2003
12.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	फरवरी 3, 2003
13.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.88	मार्च 27, 2003
14.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.101	मई 5, 2003
15.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	अगस्त 20, 2003
16.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	सितम्बर 1, 2003
17.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	सितम्बर 16, 2003
18.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	अक्तूबर 17, 2003
19.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.35	नवम्बर 14, 2003
20.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	दिसम्बर 3, 2003
21.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39	दिसम्बर 3, 2003
22.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.43	दिसम्बर 8, 2003

23.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	दिसम्बर 8, 2003
24.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	दिसंबर 17, 2003
25.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	दिसम्बर 20, 2003
26.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.63	फरवरी 3, 2004
27.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.67	फरवरी 6, 2004
28.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.89	अप्रैल 24, 2004
29.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	सितंबर 13, 2004
30.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	अक्तूबर 1, 2004
31.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	अक्तूबर 1, 2004
32	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	अक्तूबर 4, 2004
33.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.04	जुलाई 29, 2005
34.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.06	अगस्त 11, 2005
35.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.07	अगस्त 17, 2005
36.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.08	अगस्त 25, 2005
37.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	अगस्त 30, 2005
38.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	सितंबर 05, 2005
39.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	नवंबर 11, 2005
40.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	जनवरी 25, 2006
41.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.4	जुलाई 28, 2006
42.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	नवंबर 16, 2006
43.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	दिसंबर 22, 2006
44.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	फरवरी 8, 2007
45.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	अप्रैल 20, 2007
46.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.62	24 मई, 2007
47.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	31 मई , 2007
48.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	8 जून 2007
49.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.74	8 जून 2007
50.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.2	19 जुलाई 2007
51.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	14 दिसंबर 2007
52.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.22	19 दिसंबर 2007
53.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.23	31 दिसंबर 2007
54.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	28 अप्रैल 2008
55.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	28 अप्रैल 2008

56.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	30 मई 2008
57.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	17 अक्तूबर 2008
58.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.63	22 अप्रैल 2009
59.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.05	22 जुलाई 2009
60.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.47	12 अप्रैल 2010
61.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.49	04 मई 2010